



सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

खण्ड 74] प्रयागराज, शनिवार, 29 अगस्त, 2020 ई० (भाद्रपद 7, 1942 शक संवत्) [संख्या 34

विषय-सूची

हर भाग के पन्ने अलग-अलग किये गये हैं, जिससे इनके अलग-अलग खण्ड बन सके।

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा	विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
सम्पूर्ण गजट का मूल्य		रु०			रु०
भाग 1—विज्ञप्ति—अवकाश, नियुक्ति, स्थान—नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस	897—902	3075	भाग 4—निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश		975
भाग 1—क—नियम, कार्य-विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया	619—638	1500	भाग 5—एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तर प्रदेश		975
भाग 1—ख (1) औद्योगिक न्यायाधिकरणों के अभिनिर्णय			भाग 6—(क) बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किये गये या प्रस्तुत किये जाने से पहले प्रकाशित किये गये		975
भाग 1—ख (2)—श्रम न्यायालयों के अभिनिर्णय			(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		
भाग 2—आज्ञायें, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों का उद्धरण	..	975	भाग 6—क—भारतीय संसद के ऐक्ट		975
भाग 3—स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़पत्र, खण्ड क—नगरपालिका परिषद्, खण्ड ख—नगर पंचायत, खण्ड ग—निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड घ—जिला पंचायत	139—141	975	भाग 7—(क) बिल, जो राज्य की धारा सभाओं में प्रस्तुत किये जाने के पहले प्रकाशित किये गये		
			(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		
			भाग 7—क—उत्तर प्रदेशीय धारा सभाओं के ऐक्ट		975
			भाग 7—ख—इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां		
			भाग 8—सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गाठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आँकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आँकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि	427—436	975
			स्टोस—पचेज विभाग का क्रोड़ पत्र	..	1425

भाग 1

विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस।

राज्य कर विभाग

अनुभाग-1

तैनाती/स्थानान्तरण

23 जुलाई, 2020 ई0

सं0 राज्य कर-1-661/11-2020-123/19 टी0सी0-वाणिज्य कर विभाग के नवपदोन्नत श्री श्रीराम सरोज, ज्वाइन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर को ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक), वाणिज्य कर सम्भाग-डी, कानपुर के पद/स्थान पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-661-1/11-2020-123/19 टी0सी0-वाणिज्य कर विभाग के नवपदोन्नत श्री बाल कृष्ण, ज्वाइन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर को ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक), वाणिज्य कर, सम्भाग-बी, प्रयागराज के पद/स्थान पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-661-2/11-2020-123/19 टी0सी0-वाणिज्य कर विभाग के नवपदोन्नत श्री रविराज प्रताप मल्ल, ज्वाइन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर को ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक), वाणिज्य कर, सम्भाग-ए, लखनऊ के पद/स्थान पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-661-3/11-2020-123/19 टी0सी0-वाणिज्य कर विभाग के नवपदोन्नत श्री महेश चन्द्र यादव, ज्वाइन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर को ज्वाइन्ट कमिश्नर (उ0न्या0का0), वाणिज्य कर, प्रयागराज के पद/स्थान पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-661-5/11-2020-123/19 टी0सी0-वाणिज्य कर विभाग के नवपदोन्नत श्री राम मूरत, ज्वाइन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर को ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक), वाणिज्य कर, सम्भाग-ए, सहारनपुर के पद/स्थान पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-661-6/11-2020-123/19 टी0सी0-वाणिज्य कर विभाग के नवपदोन्नत श्री राजेश कुमार-IV, ज्वाइन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर को ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक), वाणिज्य कर, सीतापुर के पद/स्थान पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-661-7/11-2020-123/19 टी0सी0-वाणिज्य कर विभाग के नवपदोन्नत श्री प्रदीप कुमार सोनी, ज्वाइन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर को ज्वाइन्ट कमिश्नर (टैक्स आडिट), वाणिज्य कर, अलीगढ़ के पद/स्थान पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-661-8/11-2020-123/19 टी0सी0-वाणिज्य कर विभाग के नवपदोन्नत श्रीमती सानत्वना गौतम, ज्वाइन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर को ज्वाइन्ट कमिश्नर (टैक्स आडिट), वाणिज्य कर, जोन-प्रथम, गाजियाबाद के पद/स्थान पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-661-9/11-2020-123/19 टी0सी0-वाणिज्य कर विभाग के नवपदोन्नत श्रीमती रीनू कुमारी, ज्वाइन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर को ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक), वाणिज्य कर, वाराणसी-सी के पद/स्थान पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-661-10/11-2020-123/19 टी0सी0-वाणिज्य कर विभाग के नवपदोन्नत श्री श्याम प्रसाद, ज्वाइन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर को ज्वाइन्ट कमिश्नर (वि0अनु0शा0), वाणिज्य कर, मैनपुरी के पद/स्थान पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

2-श्री श्याम प्रसाद, ज्वाइन्ट कमिश्नर, (वि0अनु0शा0), वाणिज्य कर, मैनपुरी की उक्त पद पर तैनाती दिनांक 01 अगस्त, 2020 से प्रभावी मानी जायेगी।

सं० राज्य कर-1-661-11/11-2020-123/19 टी०सी०-वाणिज्य कर विभाग के नवपदोन्नत श्री अनिल कुमार-II, ज्वाइन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर को ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक), वाणिज्य कर, सभाग-ए, अलीगढ़ के पद/स्थान पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

सं० राज्य कर-1-661-12/11-2020-123/19 टी०सी०-वाणिज्य कर विभाग के नवपदोन्नत श्रीमती ज्योति भौत, ज्वाइन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर को ज्वाइन्ट डायरेक्टर, वाणिज्य कर (प्रशिक्षण संस्थान), लखनऊ के पद/स्थान पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

सं० राज्य कर-1-661-13/11-2020-123/19 टी०सी०-वाणिज्य कर विभाग के नवपदोन्नत श्री देवी सिंह, ज्वाइन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर को ज्वाइन्ट कमिश्नर (टैक्स आडिट), वाणिज्य कर, झांसी के पद/स्थान पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

सं० राज्य कर-1-661-14/11-2020-123/19 टी०सी०-वाणिज्य कर विभाग के नवपदोन्नत श्री मुकेश चन्द्र पाण्डेय, ज्वाइन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर को ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक), वाणिज्य कर, सम्भाग-बी, गौतमबुद्ध नगर के पद/स्थान पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

सं० राज्य कर-1-661-15/11-2020-123/19 टी०सी०-वाणिज्य कर विभाग के नवपदोन्नत श्री मनोज कुमार विश्वकर्मा-II, ज्वाइन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर को ज्वाइन्ट कमिश्नर (वि०अनु०शा०), वाणिज्य कर, सम्भाग-बी, गौतमबुद्ध नगर के पद/स्थान पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

सं० राज्य कर-1-661-16/11-2020-123/19 टी०सी०-वाणिज्य कर विभाग के नवपदोन्नत श्री शिशिर कुमार, ज्वाइन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर को ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक), वाणिज्य कर, सम्भाग-बी, अयोध्या के पद/स्थान पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

सं० राज्य कर-1-661-17/11-2020-123/19 टी०सी०-वाणिज्य कर विभाग के नवपदोन्नत श्री संजय कुमार-IV, ज्वाइन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर को ज्वाइन्ट कमिश्नर (वि०अनु०शा०), वाणिज्य कर, सम्भाग-बी, लखनऊ के पद/स्थान पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

सं० राज्य कर-1-661-18/11-2020-123/19 टी०सी०-वाणिज्य कर विभाग के नवपदोन्नत श्री राजेश कुमार कौशल, ज्वाइन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर को ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक), वाणिज्य कर, सम्भाग-सी, गाजियाबाद के पद/स्थान पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

सं० राज्य कर-1-661-19/11-2020-123/19 टी०सी०-वाणिज्य कर विभाग के नवपदोन्नत श्री ओम प्रकाश राय-II, ज्वाइन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर को ज्वाइन्ट कमिश्नर (वि०अनु०शा०), वाणिज्य कर, अलीगढ़-ए के पद/स्थान पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

सं० राज्य कर-1-661-20/11-2020-123/19 टी०सी०-वाणिज्य कर विभाग के नवपदोन्नत श्रीमती मधुरिमा मित्रा, ज्वाइन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर को ज्वाइन्ट कमिश्नर (उ०न्या०का०), लखनऊ के पद/स्थान पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

सं० राज्य कर-1-661-21/11-2020-123/19 टी०सी०-वाणिज्य कर विभाग के नवपदोन्नत श्री मुकेश, ज्वाइन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर को ज्वाइन्ट कमिश्नर (टैक्स आडिट), वाणिज्य कर, जोन-प्रथम, कानपुर के पद/स्थान पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

सं० राज्य कर-1-661-22/11-2020-123/19 टी०सी०-वाणिज्य कर विभाग के नवपदोन्नत श्री अमित कुमार पाठक, ज्वाइन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर को ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक), वाणिज्य कर, सम्भाग-ए, वाराणसी के पद/स्थान पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

सं० राज्य कर-1-661-23/11-2020-123/19 टी०सी०-वाणिज्य कर विभाग के नवपदोन्नत श्री विवेकानन्द शुक्ला, ज्वाइन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर को ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्पोरेट सेल), वाणिज्य कर, जोन-द्वितीय, वाराणसी मुख्यालय, सोनभद्र के पद/स्थान पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

सं० राज्य कर-1-661-24/11-2020-123/19 टी०सी०-वाणिज्य कर विभाग के नवपदोन्नत श्री कौशलेन्द्र कुमार राय, ज्वाइन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर को ज्वाइन्ट कमिश्नर (वि०अनु०शा०), अलीगढ़-बी के पद/स्थान पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

सं० राज्य कर-1-661-25/11-2020-123/19 टी०सी०-वाणिज्य कर विभाग के नवपदोन्नत श्री रविशेखर सिंह, ज्वाइन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर को ज्वाइन्ट कमिश्नर कार्यपालक-बी, आगरा के पद/स्थान पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

सं० राज्य कर-1-661-26/11-2020-123/19 टी०सी०-वाणिज्य कर विभाग के नवपदोन्नत श्री अखिलेश कुमार सिंह-I, ज्वाइन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर को ज्वाइन्ट कमिश्नर (वि०अनु०शा०), वाणिज्य कर सम्भाग-ए, लखनऊ के पद/स्थान पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

सं० राज्य कर-1-661-27/11-2020-123/19 टी०सी०-वाणिज्य कर विभाग के नवपदोन्नत श्री राजेश कुमार-I, ज्वाइन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर को ज्वाइन्ट कमिश्नर (वि०अनु०शा०), वाणिज्य कर सम्भाग-ए, मेरठ के पद/स्थान पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

सं० राज्य कर-1-661-28/11-2020-123/19 टी०सी०-वाणिज्य कर विभाग के नवपदोन्नत श्री मनीष श्रीवास्तव, ज्वाइन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर को ज्वाइन्ट कमिश्नर (टैक्स आडिट), वाणिज्य कर, आगरा के पद/स्थान पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

सं० राज्य कर-1-661-29/11-2020-123/19 टी०सी०-वाणिज्य कर विभाग के नवपदोन्नत श्रीमती स्तुति श्रीवास्तव, ज्वाइन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर को ज्वाइन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर (सर्वोच्च न्यायालय कार्य), गाजियाबाद के पद/स्थान पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

सं० राज्य कर-1-661-30/11-2020-123/19 टी०सी०-वाणिज्य कर विभाग के नवपदोन्नत श्रीमती रूही सक्सेना, ज्वाइन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर को ज्वाइन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर मुख्यालय, लखनऊ के पद/स्थान पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

सं० राज्य कर-1-661-31/11-2020-123/19 टी०सी०-वाणिज्य कर विभाग के नवपदोन्नत श्रीमती निधि मोहन कटियार, ज्वाइन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर को उप निदेशक, राजस्व एवं विशिष्ट अभिसूचना, उत्तर प्रदेश शासन के पद/स्थान पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

सं० राज्य कर-1-661-32/11-2020-123/19 टी०सी०-वाणिज्य कर विभाग के नवपदोन्नत सुश्री सुविद्या गुप्ता, ज्वाइन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर को ज्वाइन्ट डायरेक्टर, वाणिज्य कर (प्रशिक्षण संस्थान), लखनऊ के पद/स्थान पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

सं० राज्य कर-1-661-33/11-2020-123/19 टी०सी०-वाणिज्य कर विभाग के नवपदोन्नत श्री राजेश कुमार गुप्त, ज्वाइन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर को ज्वाइन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर, बांदा के पद/स्थान पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

सं० राज्य कर-1-661-34/11-2020-123/19 टी०सी०-वाणिज्य कर विभाग के नवपदोन्नत श्री अनिल कुमार-III, ज्वाइन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर को ज्वाइन्ट कमिश्नर (वि०अनु०शा०), वाराणसी-ए के पद/स्थान पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

सं० राज्य कर-1-661-35/11-2020-123/19 टी०सी०-वाणिज्य कर विभाग के नवपदोन्नत श्री राजीव आर्थर, ज्वाइन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर को ज्वाइन्ट कमिश्नर (वि०अनु०शा०), वाणिज्य कर, गोण्डा के पद/स्थान पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

सं० राज्य कर-1-661-36/11-2020-123/19 टी०सी०-वाणिज्य कर विभाग के नवपदोन्नत श्री शक्ति प्रताप सिंह, ज्वाइन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर को ज्वाइन्ट कमिश्नर, कार्पोरेट ऑयल सेक्टर, हेडक्वार्टर, लखनऊ के पद/स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

सं० राज्य कर-1-661-37/11-2020-123/19 टी०सी०-वाणिज्य कर विभाग के नवपदोन्नत श्री हीरा लाल-I, ज्वाइन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर को ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक), वाणिज्य कर, मैनपुरी के पद/स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

सं० राज्य कर-1-661-38/11-2020-123/19 टी०सी०-वाणिज्य कर विभाग के नवपदोन्नत श्री केदार प्रसाद केशरी, ज्वाइन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर को ज्वाइन्ट कमिश्नर (कारपोरेट सेल), वाणिज्य कर, गोरखपुर के पद/स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

सं० राज्य कर-1-661-39/11-2020-123/19 टी०सी०-वाणिज्य कर विभाग के नवपदोन्नत श्री राम प्रताप सिंह, ज्वाइन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर को ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक), वाणिज्य कर, सम्भाग-ए, मेरठ के पद/स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

सं० राज्य कर-1-661-40/11-2020-123/19 टी०सी०-वाणिज्य कर विभाग के नवपदोन्नत श्री विजय कुमार-IV, ज्वाइन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर को ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक), वाणिज्य कर, मथुरा के पद/स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

सं० राज्य कर-1-661-41/11-2020-123/19 टी०सी०-वाणिज्य कर विभाग के नवपदोन्नत श्री पारस नाथ यादव, ज्वाइन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर को ज्वाइन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर, मुख्यालय, लखनऊ के पद/स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

शुद्धि-पत्र

24 जुलाई, 2020 ई०

सं० राज्य कर-1-661-42/11-2020-123/19 टी०सी०-शासन के विज्ञप्ति/तैनाती/स्थानान्तरण सम्बन्धी आदेश संख्या राज्य कर-1-661-41/11-2020-123/19 टी०सी०, दिनांक 23 जुलाई, 2020 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से श्री पारस नाथ यादव, ज्वाइन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर का स्थानान्तरण ज्वाइन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर मुख्यालय, लखनऊ के पद पर किया गया। उक्त स्थानान्तरण आदेश में श्री पारस नाथ यादव, ज्वाइन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर (कारपोरेट सेल), वाराणसी-II, मुख्यालय सोनभद्र के स्थान पर त्रुटिवश नव पदोन्नत श्री पारस नाथ यादव टंकित हो गया है।

अतः उक्त स्थानान्तरण आदेश संख्या राज्य कर-1-661-41/11-2020-123/19 टी०सी०, दिनांक 23 जुलाई, 2020 में नव पदोन्नत श्री पारस नाथ यादव, ज्वाइन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर के स्थान पर "श्री पारस नाथ यादव, ज्वाइन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर (कारपोरेट सेल), वाराणसी-II, मुख्यालय सोनभद्र को स्थानान्तरित करते हुये ज्वाइन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर मुख्यालय, लखनऊ पढ़ा जाय।"

2-विज्ञप्ति/तैनाती/स्थानान्तरण आदेश संख्या राज्य कर-1-661-41/11-2020-123/19 टी०सी०, दिनांक 23 जुलाई, 2020 इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

आज्ञा से,
अरविन्द कुमार,
संयुक्त सचिव।

गोपन विभाग

अनुभाग-1

28 जुलाई, 2020 ई0

सं0 7/2/6/2020-7/2/7/95-सी0एक्स0 (1)—मा0 न्यायमूर्ति श्री मुनीश्वर नाथ भंडारी, उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ के निम्नांकित तालिका में इंगित अवधियों के अवकाश की राज्यपाल महोदया द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है—

क्रमांक	अवकाश की अवधि तथा प्रकृति
1	दिनांक 28-05-2019 से दिनांक 31-05-2019 तक 04 (चार) दिन का पूर्ण भत्ते में परिवर्तित अर्द्धवेतन अवकाश।
2	दिनांक 30-09-2019 से दिनांक 01-10-2019 तक 02 (दो) दिन का पूर्ण भत्ते में परिवर्तित अर्द्धवेतन अवकाश।

सं0 7/2/7/2020-7/2/7/95-सी0एक्स0 (1)—मा0 न्यायमूर्ति श्री विकास कुँवर श्रीवास्तव, उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ के निम्नांकित तालिका में इंगित अवधियों के अवकाश की राज्यपाल महोदया द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है—

क्रमांक	अवकाश की अवधि तथा प्रकृति
1	दिनांक 24-10-2019 का 01 (एक) दिन का पूर्ण भत्ते में परिवर्तित अर्द्धवेतन अवकाश।
2	दिनांक 27-11-2019 से दिनांक 28-11-2019 तक 02 (दो) दिन का पूर्ण भत्ते में परिवर्तित अर्द्धवेतन अवकाश।

सं0 7/1/8/2018-7/2/7/95-सी0एक्स0 (1)—मा0 न्यायमूर्ति श्री कौशल जयेन्द्र ठाकर, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के दिनांक 10-02-2020 से दिनांक 12-02-2020 तक 03 (तीन) दिन का पूर्ण भत्ते पर देय अवकाश की राज्यपाल महोदया द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

सं0 7/2/9/2015-7/2/7/95-सी0एक्स0 (1)—मा0 न्यायमूर्ति श्री विवेक कुमार बिरला, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के निम्नांकित तालिका में इंगित अवधियों के अवकाश की राज्यपाल महोदया द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है—

क्रमांक	अवकाश की अवधि तथा प्रकृति
1	दिनांक 03-02-2020 से दिनांक 07-02-2020 का 05 (पाँच) दिन का पूर्ण भत्ते पर देय अवकाश।
2	दिनांक 10-02-2020 से दिनांक 12-02-2020 का 03 (तीन) दिन का पूर्ण भत्ते पर देय अवकाश।

सं0 7/1/11/2018-7/2/7/95-सी0एक्स0 (1)—मा0 मुख्य न्यायाधीश श्री गोविन्द माथुर, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के दिनांक 04-02-2020 से दिनांक 11-02-2020 तक 08 (आठ) दिन का पूर्ण भत्ते पर देय अवकाश की राज्यपाल महोदया द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

आज्ञा से,
राजेन्द्र कुमार तिवारी,
मुख्य सचिव।

पी0एस0यू0पी0—22 हिन्दी गजट—भाग 1—2020 ई0।

मुद्रक एवं प्रकाशक—निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उ0 प्र0, प्रयागराज।



सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 29 अगस्त, 2020 ई० (भाद्रपद 7, 1942 शक संवत्)

भाग 1-क

नियम, कार्य विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया।

हमीरपुर के जिलाधिकारी की आज्ञा

17 जून, 2020 ई०

सं० 1663/डी०एल०आर०सी०-12 ए-पुनर्ग्रहण (2018-19)—शासनादेश संख्या 9 (1) राजस्व 1/3-3 (1)-74, दिनांक 25 जनवरी, 1974 तथा शासनादेश संख्या 68/(3)/राजस्व 1/3-2(6)/1797, दिनांक 01 सितम्बर, 1979 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ०प्र० अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 740/एक-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं, ज्ञानेश्वर त्रिपाठी, जिलाधिकारी, हमीरपुर निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम कुछेछा के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ :

अनुसूची

क्र०सं०	जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन, जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)।
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	हमीरपुर	हमीरपुर	राठ	कुछेछा	151-मि०	4.068	5-3 ड/ बंजर भूमि	विश्व बैंक खण्ड लोक निर्माण विभाग झांसी के पक्ष में।

ज्ञानेश्वर त्रिपाठी,
जिलाधिकारी,
हमीरपुर।

गौतमबुद्धनगर के जिलाधिकारी की आज्ञा

13 जुलाई, 2020 ई०

सं० 148/डी०एल०आर०सी०-पुनर्ग्रहण/2020-21-शासनादेश संख्या 744/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 08, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा-4 के खण्ड (ग) तथा उ०प्र० राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं, सुहास एल० वाई०, जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम जैतवारपुर उर्फ अनवरपुर, तहसील दादरी, गौतमबुद्धनगर के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ। [शासनादेश दिनांक 03 जून, 2016 के प्रस्तर संख्या 5(12) में उल्लिखित विद्युत एवं अवस्थापना विकास के सुदृढीकरण हेतु नये विद्युत उपकेन्द्र 33/11 के०वी० हेतु उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 59 की उपधारा (2) के खण्ड (एक), (तीन) तथा (चार) में निर्दिष्ट भूमि को 01 रुपये प्रति एकड़ सांकेतिक मूल्य की दर पर 30 वर्ष के लिये (अनुरोधानुसार 90 वर्ष तक) के पट्टे पर उपलब्ध करायी जायेगी] उप जिलाधिकारी, दादरी की आख्या दिनांक 29 जून, 2020, डिप्टी कलेक्टर, ग्रेटर नोएडा, औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गौतमबुद्धनगर के पत्रांक 104/भूलेख/2020, दिनांक 19 मई, 2020 तथा अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण मण्डल, द्वितीय, गौतमबुद्धनगर के पत्रांक 50/वि०न०वि०म०द्वि०-नोएडा/प्यावली उपकेन्द्र, दिनांक 28 अप्रैल, 2020 के क्रम में ग्राम जैतवारपुर उर्फ अनवरपुर में 33/11 के०वी० विद्युत उपकेन्द्र के निर्माण हेतु पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड, चतुर्थ नोएडा को हस्तांतरित करता हूँ :

अनुसूची

क्रम संख्या	जिला	तहसील	परगना	ग्राम	ग्राम सभा	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल	विवरण (प्रयोजन, जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)।
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							हेक्टेयर	
1	गौतमबुद्ध-नगर	दादरी	दादरी	जैतवारपुर उर्फ अनवरपुर	जैतवारपुर उर्फ अनवरपुर	583	0.4050	अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण मण्डल, द्वितीय, गौतमबुद्धनगर 33/11 के०वी० विद्युत उपकेन्द्र के निर्माण हेतु हस्तान्तरित।

सुहास एल० वाई०,
जिलाधिकारी/कलेक्टर,
गौतमबुद्धनगर।

बाँदा के जिलाधिकारी की आज्ञा

21 जुलाई, 2019 ई०

सं० 140(6)/12-भूमि व्यवस्था-उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ०प्र० अधि० संख्या 08, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड 1-(ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्तियों एवं शासकीय अधिसूचना संख्या 32/744/एक-1-बी(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं, अमित सिंह बंसल, जिलाधिकारी, बाँदा प्रस्तावित भूमि स्थित ग्राम गोयरा मुगली, तहसील बाँदा, जिला बाँदा के श्रेणी-5-3-ड० बंजर भूमि के खाते में निम्नांकित गाटा संख्या 960-ख-मि० रकबा 0.8090 हे०, जिसकी मालियत 8,09,000.00 (आठ लाख नौ हजार रुपये) मात्र को ग्राम सभा गोयरा मुगली में मण्डलीय ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (डीटीआई) स्थापित किये जाने हेतु उप जिलाधिकारी बाँदा की संस्तुति/आख्या पत्र संख्या 2215/रा०नि०आ०, दिनांक 21 जुलाई, 2020 के क्रम में शासनादेश दिनांक 03 जून, 2016 में दिये गये प्राविधानों के क्रम में उक्त गांव सभा की भूमि इस प्रतिबन्ध के साथ पुनर्ग्रहीत करता हूँ कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा, यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं कारणों/नियम के अन्तर्गत उपवर्णित धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्ण रूप से बाध्य रहेंगे। उक्त प्रतिबन्धों के

अधीन प्रश्नगत भूमि को गांव सभा से पुनर्ग्रहण करके निःशुल्क दिये जाने हेतु ग्राम सभा की प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नवत है—

अनुसूची

क्र० सं०	जिला	तहसील/ परगना	ग्राम	ग्राम सभा	खाता संख्या/ भूमि की श्रेणी	गाटा संख्या	रकबा	प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की गयी।
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							हेक्टेयर	
1	बाँदा	बाँदा	गोयरा मुगली	गोयरा मुगली	5-3-ड० बंजर खाता संख्या 809	960-ख-मि०	0.8090	मण्डलीय ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (डीटीआई) निर्माण हेतु।

अमित सिंह बंसल,
जिलाधिकारी, बाँदा।

वाराणसी के जिलाधिकारी की आज्ञा

23 जुलाई, 2018 ई०

सं० 6076/सात-भू०सु०/2020-शासनादेश संख्या 68/3-2(6)/79 रा०-1, दिनांक 01 जुलाई, 1983 एवं अद्यतन शासनादेश संख्या 744/एक-1-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कर करते हुए और उ०प्र० राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करने तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 745/एक-1-2016(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं, कौशल राज शर्मा, जिलाधिकारी, वाराणसी अधोलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त शासनादेशानुसार अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित गांव सभा में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ। तदुपरान्त अनुसूची में क्रम संख्या 7/8 में उल्लिखित गाटा संख्या मि० 141, रकबा 0.101 हे० व गाटा संख्या 974, रकबा 0.045 हे० (चकमार्ग), गाटा संख्या 982, रकबा 0.202 हे० (नाला), कुल 02 गाटों में रकबा 0.247 हे० ग्राम सभा की सार्वजनिक उपयोग की ऐसी भूमि जो केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की अधिग्रहीत क्षेत्र में से प्रारम्भ होकर उसी में समाप्त होती है, जिसमें विनिमय हेतु भूमि वांछित नहीं है व गाटा संख्या 984, रकबा 0.049 हे०, गाटा संख्या 968-मि० 0.061 हे०, कुल 02 गाटा रकबा 0.110 हे० जो तहसील पिण्डरा, जनपद वाराणसी में स्थित ग्राम सभा की सामान्य भूमि नवीन परती को केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की 95 बटालियन की स्थापना के लिए महामहिम राष्ट्रपति भारत गणराज्य के नाम हस्तगत कराया जाय :

अनुसूची

क्र० सं०	जिला	तहसील	परगना	गांव	प्लॉट संख्या/ गाटा संख्या	क्षेत्रफल	विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8
						हेक्टेयर	
1	वाराणसी	पिण्डरा	कोलअसला	थाना	974 रकबा 0.045 हे० (चकमार्ग), 982 रकबा 0.202 हे० (नाला), 984 रकबा 0.049 हे०, 968-मि० रकबा 0.061 हे० (नवीन परती)	0.357	केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की 95 बटालियन की स्थापना हेतु (महामहिम राष्ट्रपति भारत गणराज्य)

कौशल राज शर्मा,
जिलाधिकारी, वाराणसी।

**कार्यालय, चकबन्दी आयुक्त, उत्तर प्रदेश,
लखनऊ**

04 मार्च, 2020 ई0

सं0 1400/जी0-201/91 (1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति संख्या 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश संख्या 23/1/1(5)-1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथाप्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील लालगंज, जनपद मीरजापुर के ग्राम लखनिया तप्पा उपरौध में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 1401/जी0-52(1)/2017-18 (आपत्ति)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति संख्या 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश संख्या 23/1/1(5)-1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथाप्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील छिबरामऊ, जनपद कन्नौज के ग्राम सिंहपुर में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 1402/जी0-153/67-15—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति संख्या 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश संख्या 23/1/1(5)-1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथाप्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील सलोन,

जनपद रायबरेली के ग्राम कचनावाँ में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 1403/जी0-166/65—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति संख्या 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश संख्या 23/1/1(5)-1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथाप्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील लखीमपुर, जनपद लखीमपुर खीरी के ग्राम खानपुर गुरेला में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 1404/जी0-153/67-15—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति संख्या 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश संख्या 23/1/1(5)-1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथाप्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील सलोन, जनपद रायबरेली के ग्राम अहोरा रामपुर में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 1405/जी0-125/68—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति संख्या 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश संख्या 23/1/1(5)-1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथाप्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील अमेठी, जनपद अमेठी के ग्राम दुलहिनपुर में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 1406/जी0-177/66-2019—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति संख्या 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश संख्या 23/1/1(5)-1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथाप्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील भीटी, जनपद अम्बेडकरनगर के ग्राम रानीपुरगिरन्ट में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 1407/जी0-232/63-08—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति संख्या 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश संख्या 23/1/1(5)-1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथाप्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील मवाना, जनपद मेरठ के ग्राम किरतपुर में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 1408/जी0-226/62-16—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति संख्या 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश संख्या 23/1/1(5)-1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथाप्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील विधूना, जनपद औरैया के ग्राम इकधरा विधूना में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 1409/जी0-354ए/60-15(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति

संख्या 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश संख्या 23/1/1(5)-1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथाप्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील सिरसागंज, जनपद फिरोजाबाद के निम्नलिखित ग्रामों में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं :

ग्रामों की सूची

जनपद	तहसील	क्रमांक	ग्राम का नाम
1	2	3	4
फिरोजाबाद	सिरसागंज	1	अबाबकपुर (शुद्ध नाम अबाबकरपुर)
		2	डुडपुर (डुण्डपुर शुद्ध नाम गढ़ी डुण्डपुर)
		3	डालपुरा (शुद्ध नाम गलपुरा)
		4	आरावर खुर्द (शुद्ध नाम अराँव खुर्द)

सं0 1410/जी0-362-ए/2019-20—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति संख्या 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश संख्या 23/1/1(5)-1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथाप्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील नौतनवां, जनपद महाराजगंज के निम्नलिखित ग्रामों में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं :

ग्रामों की सूची

जनपद	तहसील	क्रमांक	ग्राम का नाम
1	2	3	4
महाराजगंज	नौतनवां	1	चाँदपुर तप्पा कटहरा
		2	बेलौहाघाट तप्पा कटहरा
		3	काशीपुर तप्पा कटहरा

05 मार्च, 2020 ई0

सं0 1458/जी0-247/64-2015—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति संख्या 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश संख्या 23/1/1(5)-1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथाप्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील फूलपुर, जनपद प्रयागराज के ग्राम चकयार मोहम्मद उर्फ रामपुर में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 1459/जी0-52(1)/2017-18 (आपत्ति) (1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति संख्या 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश संख्या 23/1/1(5)-1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथाप्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील सम्भल, जनपद सम्भल के ग्राम ततारपुर घोसी में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 1460/जी0-61/57-15 (2)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति संख्या 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश संख्या 23/1/1(5)-1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथाप्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील सम्भल, जनपद सम्भल के ग्राम चिरौली भगवन्तपुर में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 1461/जी0-356 A/60—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 5, 1954 ई0)

की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति संख्या 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश संख्या 23/1/1(5)-1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथाप्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील मिल्कीपुर, जनपद अयोध्या के ग्राम खण्डासा में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 1462/जी0-167/59-86 (1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति संख्या 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश संख्या 23/1/1(5)-1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथाप्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील घाटमपुर, जनपद कानपुर नगर के ग्राम दहिलर अव्वल में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 1463/जी0-52(1)/2018-19 (आपत्ति)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति संख्या 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश संख्या 23/1/1(5)-1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथाप्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील विधुना, जनपद औरैया के ग्राम सराय कछवाहा में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 1464/जी0-152/90/2011(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति संख्या 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त,

बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूं कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील नगीना, जनपद बिजनौर के निम्नलिखित ग्रामों में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं :

ग्रामों की सूची

जनपद	तहसील	क्रमांक	ग्राम का नाम
1	2	3	4
बिजनौर	नगीना	1	बनखला
		2	मुर्तजाबाद गुलरिया

06 मार्च, 2020 ई0

सं0 1514/जी0-29/54-81-उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति संख्या 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश संख्या 23/1/1(5)-1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथाप्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूं कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील जुमरियागंज, जनपद सिद्धार्थनगर के ग्राम फतेपुर तप्पा करही में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 1515/जी0-158-ए/65-उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति संख्या 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश संख्या 23/1/1(5)-1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथाप्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूं कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील छिबरामऊ, जनपद कन्नौज के ग्राम लालकपुर में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 1516/जी0-178/60-15-उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति

संख्या 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश संख्या 23/1/1(5)-1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथाप्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूं कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील बांसी, जनपद सिद्धार्थनगर के ग्राम डढ़िया तप्पा असनार में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 1517/जी0-154/78-उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति संख्या 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश संख्या 23/1/1(5)-1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथाप्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूं कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील कुलपहाड़, जनपद महोबा के ग्राम भगौरी में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 1518/जी0-163/59(1)-उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति संख्या 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश संख्या 23/1/1(5)-1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथाप्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूं कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील हरदोई (सदर), जनपद हरदोई के निम्नलिखित ग्रामों में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं :

ग्रामों की सूची

जनपद	तहसील	क्रमांक	ग्राम का नाम
1	2	3	4
हरदोई	हरदोई सदर	1	महमूदपुर बैजनाथ
		2	बीघारामपुर

16 मार्च, 2020 ई0

सं0 1705/जी0-175/59-91-उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति संख्या 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश संख्या 23/1/1(5)-1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथाप्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील मुहम्मदाबाद गोहना, जनपद मऊ के ग्राम इटौरा चौबेपुर में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 1706/जी0-155/69-उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति संख्या 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश संख्या 23/1/1(5)-1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथाप्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील शोहरतगढ़, जनपद सिद्धार्थनगर के ग्राम मुरगहवा तप्पा डबरा में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

17 मार्च, 2020 ई0

सं0 1712/जी0-170/65-उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति संख्या 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश संख्या 23/1/1(5)-1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथाप्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील बिलग्राम, जनपद हरदोई के ग्राम औसानपुर में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

18 मार्च, 2020 ई0

सं0 1713/जी0-52(1)/2017-18(आपत्ति)-उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति संख्या 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश संख्या 23/1/1(5)-1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथाप्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील विधूना, जनपद औरैया के निम्नलिखित ग्रामों में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं :

ग्रामों की सूची

जनपद	तहसील	क्रमांक	ग्राम का नाम
1	2	3	4
औरैया	विधूना	1	कालाबोझ
		2	चकबदनपुर

सं0 1714/जी0-153/67-15-उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति संख्या 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश संख्या 23/1/1(5)-1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथाप्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील सलोन, जनपद रायबरेली के ग्राम बिजवलिया में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 1715/जी0-161-ए/65-उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति संख्या 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश संख्या 23/1/1(5)-1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथाप्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश,

एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील सदर, जनपद रायबरेली के निम्नलिखित ग्रामों में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं :

ग्रामों की सूची

जनपद	तहसील	क्रमांक	ग्राम का नाम
1	2	3	4
रायबरेली	सदर	1	टेरी मनिया टीकर
		2	छतैया

सं0 1716/जी0-33-बी/54-2015-उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति संख्या 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश संख्या 23/1/1(5)-1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथाप्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील धौलाना, जनपद हापुड़ के ग्राम कृपानगर उर्फ बीघेपुर में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 1717/जी0-52 (1)/2017-18 (आपत्ति) (1)-उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति संख्या 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश संख्या 23/1/1(5)-1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथाप्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील विधूना, जनपद औरैया के ग्राम चकमठबंधा में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 1718/जी0-225/62-उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति संख्या 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश संख्या 23/1/1(5)-1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार

उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथाप्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील खागा, जनपद फतेहपुर के ग्राम केशवरायपुर केवटमई में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 1719/जी0-33/2018-19 (1)-उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति संख्या 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश संख्या 23/1/1(5)-1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथाप्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील हापुड़, जनपद हापुड़ के ग्राम भमैड़ा में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 1720/जी0-164/59-06-उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति संख्या 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश संख्या 23/1/1(5)-1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथाप्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील चायल, जनपद कौशांबी के ग्राम कुरई उपरहार में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 1721/जी0-164/59-06-उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति संख्या 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश संख्या 23/1/1(5)-1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथाप्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में

प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील मंझनपुर, जनपद कौशाम्बी के ग्राम छजुआ में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

29 मई, 2020 ई0

सं0 1894/जी0-212/60-06—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति संख्या 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश संख्या 23/1/1(5)-1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथाप्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील बांगरमऊ, जनपद उन्नाव के ग्राम केशवपुर में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 1895/जी0-212/60-06(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति संख्या 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश संख्या 23/1/1(5)-1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथाप्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील सफीपुर, जनपद उन्नाव के ग्राम मुडहा में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 1896/जी0-161/59-15—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति संख्या 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश संख्या 23/1/1(5)-1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथाप्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील हरैया,

जनपद बस्ती के निम्नलिखित ग्रामों में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं :

ग्रामों की सूची

जनपद	तहसील	क्रमांक	ग्राम का नाम
1	2	3	4
बस्ती	हरैया	1	घुसैनिया तप्पा बेलवा
		2	आराजी देवखर तप्पा बेलवा

सं0 1897/जी0-161/2008—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति संख्या 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश संख्या 23/1/1(5)-1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथाप्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील रूधौली, जनपद बस्ती के ग्राम केशवारा तप्पा पड़िया में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 1898/जी0-15/54/80-19—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति संख्या 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश संख्या 23/1/1(5)-1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथाप्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील मुसाफिरखाना, जनपद अमेठी के निम्नलिखित ग्रामों में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं :

ग्रामों की सूची

जनपद	तहसील	क्रमांक	ग्राम का नाम
1	2	3	4
अमेठी	मुसाफिरखाना	1	जलालपुरमाफी
		2	गोड़वा

सं0 1899/जी0-61-B/57-19—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 5,

1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति संख्या 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश संख्या 23/1/1(5)-1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथाप्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील चन्दौसी, जनपद सम्भल के ग्राम सैमला में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 1901/जी0-179/91—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति संख्या 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश संख्या 23/1/1(5)-1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथाप्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील राबर्टसगंज, जनपद सोनभद्र के निम्नलिखित ग्रामों में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं :

ग्रामों की सूची

जनपद	तहसील	क्रमांक	ग्राम का नाम
1	2	3	4
सोनभद्र	राबर्टसगंज	1	चिरहुली
		2	महुआँव कला

सं0 1902/जी0-152/90/2011—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति संख्या 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश संख्या 23/1/1(5)-1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथाप्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील लम्भुआ, जनपद सुलतानपुर के ग्राम मधुपुरी में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

01 जून, 2020 ई0

सं0 1905/जी0-309/57-2020—रिट याचिका संख्या बी0/2178/2019 मनोज कुमार व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 16 सितम्बर, 2019 के अनुक्रम में चकबन्दी आयुक्त के आदेश संख्या 4095/वि0प्र0/सा0, दिनांक 06 मार्च, 2020 द्वारा जिलाधिकारी/जिला उप संचालक चकबन्दी, एटा की संस्तुति के आधार पर ग्राम राजारामपुर, तहसील जलेसर, जनपद एटा को उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम की धारा 6(1) के अन्तर्गत प्रख्यापित करने के निर्देश के साथ याची का प्रार्थना-पत्र/प्रत्यावेदन दिनांक 03 अप्रैल, 2019 एवं 16 अक्टूबर, 2019 निस्तारित कर दिया गया है।

उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 5, 1954 ई0) की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति संख्या 8313/आई0ए0-813/1954, दिनांक 19 अक्टूबर, 1956 द्वारा यथाप्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, तहसील जलेसर, जनपद एटा के ग्राम राजारामपुर में उपर्युक्त अधिनियम की धारा 4-क(2) के अधीन जारी की गई विज्ञप्ति संख्या 4359/जी0-610/2016-17, दिनांक 05 सितम्बर, 2016 एतद्वारा निरस्त करता हूँ।

सं0 1906/जी0-226/62-08—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति संख्या 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश संख्या 23/1/1(5)-1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथाप्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील विधूना, जनपद औरैया के ग्राम दीनपुर धर्मजीत में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

02 जून, 2020 ई0

सं0 1918/जी0-175/59-2019—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति

संख्या 1769/सी०एच०-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश संख्या 23/1/1(5)-1991-टी०सी०आर०-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथाप्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी० राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील पयागपुर, जनपद बहराइच के निम्नलिखित ग्रामों में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं :

ग्रामों की सूची

जनपद	तहसील	क्रमांक	ग्राम का नाम
1	2	3	4
बहराइच	पयागपुर	1	सिसहना
		2	ठोरिया
		3	बरानिजाम

सं० 1919/जी०-236/63 (1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ० प्र० अधिनियम संख्या 5, 1954 ई०) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति संख्या 1769/सी०एच०-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश संख्या 23/1/1(5)-1991-टी०सी०आर०-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथाप्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी० राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील नगीना, जनपद बिजनौर के ग्राम वाजिदपुर पंचायन में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

03 जून, 2020 ई०

सं० 1962/जी०-49 A/54-81—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ० प्र० अधिनियम संख्या 5, 1954 ई०) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति संख्या 1769/सी०एच०-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश संख्या 23/1/1(5)-1991-टी०सी०आर०-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथाप्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी० राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील बीघापुर,

जनपद उन्नाव के निम्नलिखित ग्रामों में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं :

ग्रामों की सूची

जनपद	तहसील	क्रमांक	ग्राम का नाम
1	2	3	4
उन्नाव	बीघापुर	1	भोगइता
		2	कल्यानपुर
		3	कीरतपुर

सं० 1963/जी०-157/65-08—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ० प्र० अधिनियम संख्या 5, 1954 ई०) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति संख्या 1769/सी०एच०-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश संख्या 23/1/1(5)-1991-टी०सी०आर०-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथाप्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी० राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील भाटपाररानी, जनपद देवरिया के निम्नलिखित ग्रामों में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं :

ग्रामों की सूची

जनपद	तहसील	क्रमांक	ग्राम का नाम
1	2	3	4
देवरिया	भाटपाररानी	1	अलियाचक तप्पा गौतमा
		2	जवाडीह तप्पा हवेली
		3	विरनी तप्पा सोहनपुर
		4	सोटाचक तप्पा सोहनपुर
		5	कुलदीपा तप्पा सोहनपुर

04 जून, 2020 ई०

सं० 1991/जी०-166-ए/70/2019-20—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ० प्र० अधिनियम संख्या 5, 1954 ई०) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति संख्या 1769/सी०एच०-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश संख्या 23/1/1(5)-1991-टी०सी०आर०-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथाप्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी० राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश,

एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञापित के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील मधुबन, जनपद मऊ के ग्राम परसिया जयरामगिरि में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 1992/जी0-212/60-06—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञापित संख्या 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश संख्या 23/1/1(5)-1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथाप्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञापित के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील सफीपुर, जनपद उन्नाव के ग्राम पट्टीउसमान में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

05 जून, 2020 ई0

सं0 2021/जी0-238/63-15—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञापित संख्या 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश संख्या 23/1/1(5)-1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथाप्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञापित के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील हैदरगढ़, जनपद बाराबंकी के निम्नलिखित ग्रामों में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं :

ग्रामों की सूची

जनपद	तहसील	क्रमांक	ग्राम का नाम
1	2	3	4
बाराबंकी	हैदरगढ़	1	मंझपुर
		2	काजीपुर

सं0 2022/जी0-177/66/2019-20—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञापित संख्या 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त,

1958 तथा शासनादेश संख्या 23/1/1(5)-1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथाप्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञापित के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील भीटी, जनपद अम्बेडकरनगर के ग्राम टण्डौली में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 2023/जी0-201/91(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञापित संख्या 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश संख्या 23/1/1(5)-1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथाप्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञापित के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील लालगंज, जनपद मीरजापुर के ग्राम खुदाईपुर कला तप्पा उपरौध में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 2024/जी0-177-A/66/2019-20—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञापित संख्या 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश संख्या 23/1/1(5)-1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथाप्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञापित के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील जलालपुर, जनपद अम्बेडकरनगर के ग्राम चिलवनियां में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 2025/जी0-161/59-15—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञापित संख्या 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश संख्या 23/1/1(5)-1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये

जनपद कौशाम्बी के ग्राम उदैयापुर में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 2220/जी0-166/65—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति संख्या 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश संख्या 23/1/1(5)-1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथाप्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील लखीमपुर, जनपद लखीमपुर खीरी के निम्नलिखित ग्रामों में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं :

ग्रामों की सूची

जनपद	तहसील	क्रमांक	ग्राम का नाम
1	2	3	4
लखीमपुर	लखीमपुर	1	निपनिया
खीरी		2	बाजूडीह
		3	सौठन

सं0 2226/जी0-161-ए/2019-20—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति संख्या 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश संख्या 23/1/1(5)-1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथाप्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील कर्वी, नवसृजित तहसील राजापुर, जनपद चित्रकूट के ग्राम गौहानी खुर्द में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 2227/जी0-163/59(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति संख्या 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश संख्या 23/1/1(5)-1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये

प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथाप्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील हरदोई (सदर), जनपद हरदोई के ग्राम खटेली में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 2228/जी0-610/77—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति संख्या 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश संख्या 23/1/1(5)-1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथाप्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील अलीगंज, जनपद एटा के ग्राम सलेमपुरा में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 2229/जी0-238/63-15—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति संख्या 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश संख्या 23/1/1(5)-1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथाप्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील हैदरगढ़, जनपद बाराबंकी के ग्राम मोहम्मदपुर में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

15 जून, 2020 ई0

सं0 2232/जी0-157/65-08—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति संख्या 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश संख्या 23/1/1(5)-1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथाप्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं,

बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूं कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील भाटपाररानी, जनपद देवरिया के ग्राम सुन्दरचक तप्पा हवेली में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 2233/जी0-61-B/57-19-उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति संख्या 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश संख्या 23/1/1(5)-1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथाप्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूं कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील चन्दौसी, जनपद सम्भल के ग्राम नगलिया कठेर में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 2234/जी0-48-ए/54-15-उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति संख्या 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश संख्या 23/1/1(5)-1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथाप्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूं कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील निजामाबाद, जनपद आजमगढ़ के ग्राम चिरावल में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 2235/जी0-48/54-80 (2)-उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति संख्या 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश संख्या 23/1/1(5)-1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथाप्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूं कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील सदर,

जनपद आजमगढ़ के निम्नलिखित ग्रामों में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं :

ग्रामों की सूची

जनपद	तहसील	क्रमांक	ग्राम का नाम
1	2	3	4
आजमगढ़	सदर	1	पेवठा
		2	किशुनपुर
		3	जलालपुर
		4	दौलताबाद
		5	मैनुद्दीनपुर

16 जून, 2020 ई0

सं0 2268/जी0-241/63-उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति संख्या 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश संख्या 23/1/1(5)-1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथाप्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूं कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील बहेड़ी, जनपद बरेली के निम्नलिखित ग्रामों में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं :

ग्रामों की सूची

जनपद	तहसील	क्रमांक	ग्राम का नाम
1	2	3	4
बरेली	बहेड़ी	1	पटपरागंज
		2	नौली

सं0 2269/जी0-49/54-81-उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति संख्या 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश संख्या 23/1/1(5)-1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथाप्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूं कि इस विज्ञप्ति के सरकारी

गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील मीरगंज, जनपद बरेली के ग्राम लभेड़ा पुरोहित में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 2270/जी0-151/65-06—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति संख्या 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश संख्या 23/1/1(5)-1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथाप्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील फतेहपुर, जनपद बाराबंकी के ग्राम झरसवाँ में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 2271/जी0-163/69—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति संख्या 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश संख्या 23/1/1(5)-1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथाप्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील पिण्डरा, जनपद वाराणसी के ग्राम रामपुर में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 2272/जी0-366/60—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति संख्या 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश संख्या 23/1/1(5)-1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथाप्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील बीसलपुर, जनपद पीलीभीत के ग्राम वहादियाँ में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 2273/जी0-237-B/2019-20—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 5,

1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति संख्या 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश संख्या 23/1/1(5)-1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथाप्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील अमरिया, जनपद पीलीभीत के ग्राम गायबोझ में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 2274/जी0-174/66-06 (1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति संख्या 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश संख्या 23/1/1(5)-1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथाप्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील पूरनपुर, जनपद पीलीभीत के निम्नलिखित ग्रामों में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं :

ग्रामों की सूची

जनपद	तहसील	क्रमांक	ग्राम का नाम
1	2	3	4
पीलीभीत	पूरनपुर	1	जोगराजपुर
		2	गोरा
		3	गुलालपुर खमरिया

सं0 2275/जी0-240/2018-19—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति संख्या 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश संख्या 23/1/1(5)-1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथाप्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील बेलथरा

रोड, जनपद बलिया के निम्नलिखित ग्रामों में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं :

ग्रामों की सूची

जनपद	तहसील	क्रमांक	ग्राम का नाम
1	2	3	4
बलिया	बेल्थरा रोड	1	सुम्हा
		2	बढ़वलिया
		3	बारा
		4	सतुहाड़ी

18 जून, 2020 ई0

सं0 2404/जी0-152/96-उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति संख्या 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश संख्या 23/1/1(5)-1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथाप्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील माधौगढ़, जनपद जालौन के ग्राम सुल्तानपुरा में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 2405/जी0-159/70/2019-उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति संख्या 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश संख्या 23/1/1(5)-1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथाप्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़ के ग्राम भैरोपुर में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 2406/जी0-48-बी/09-उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति संख्या 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश संख्या 23/1/1(5)-1991-टी0सी0आर0-1,

दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथाप्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील बूढनपुर, जनपद आजमगढ़ के ग्राम तोनारी में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

19 जून, 2020 ई0

सं0 2425/जी0-42/54-81-उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति संख्या 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश संख्या 23/1/1(5)-1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथाप्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील शाहगंज, जनपद जौनपुर के ग्राम चकबिसहूदासमाफी में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 2426/जी0-361/60-उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति संख्या 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश संख्या 23/1/1(5)-1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथाप्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील सदर, जनपद जौनपुर के ग्राम सतहड़ा में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

22 जून, 2020 ई0

सं0 2452/जी0-157/65/2019-20-उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति संख्या 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश संख्या 23/1/1(5)-1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये

प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथाप्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील जलालाबाद, जनपद शाहजहांपुर के ग्राम भगवानपुर में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 2454/जी0-धारा-6 (1)/2018-19(II)—रिट याचिका संख्या बी0/2550/2019 ददन चौहान व 244 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व 03 अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 31 अक्टूबर, 2019 के अनुक्रम में चकबन्दी आयुक्त के आदेश संख्या 4261/वि0प्र0/सा0, दिनांक 08 जून, 2020 द्वारा ग्राम बरईपार पाण्डेय तप्पा गौतमा, परगना सलेमपुर मझौली, तहसील भाटपार रानी, जनपद देवरिया को उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम की धारा 6(1) के अन्तर्गत प्रख्यापित करने के निर्देश के साथ याची व अन्य का प्रत्यावेदन दिनांक 21 मार्च, 2018 तथा श्री राजीव कुमार पाण्डे का दिनांक रहित प्रार्थना-पत्र निस्तारित कर दिया गया है।

उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 5, 1954 ई0) की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति संख्या 8313/आई0ए0-813/

1954, दिनांक 19 अक्टूबर, 1956 द्वारा यथाप्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, तहसील भाटपार रानी, जनपद देवरिया के ग्राम बरईपार पाण्डेय तप्पा गौतमा में उपर्युक्त अधिनियम की धारा 4-क(2) के अधीन जारी की गई विज्ञप्ति संख्या 591/जी0-610/2012, दिनांक 05 फरवरी, 2015 एतद्वारा निरस्त करता हूँ।

25 जून, 2020 ई0

सं0 2505/जी0-53-A/57-20—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 5, 1954 ई0) की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति संख्या 8313/आई0ए0-813/1954, दिनांक 19 अक्टूबर, 1956 द्वारा यथाप्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, तहसील सिकन्दराराऊ, जनपद हाथरस के ग्राम भरतपुर में उपर्युक्त अधिनियम की धारा 4-क(2) के अधीन जारी की गई विज्ञप्ति संख्या 2995/जी0-610/2016-17, दिनांक 25 जुलाई, 2016 एतद्वारा निरस्त करता हूँ।

बी0 राम शास्त्री,
चकबन्दी संचालक,
उत्तर प्रदेश।



सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 29 अगस्त, 2020 ई० (भाद्रपद 7, 1942 शक संवत्)

भाग 3

स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, खण्डक-नगरपालिका परिषद्, खण्डख-नगर पंचायत,
खण्डग-निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्डघ-जिला पंचायत।

खण्डघ-जिला पंचायत

23 जुलाई, 2020 ई०

सं० 3633/इक्कीस-1(4)/वि०सहा०/2019-20-जिला पंचायत, आगरा द्वारा जिला पंचायत, अधिनियम की धारा 239 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित या भविष्य में स्थापित होने वाले दूर संचार एवं अन्य प्रकार के टावरों को विनियंत्रित एवं विनियमित करने के उद्देश्य से उपविधियां बनाई गई हैं। जिनका जन सामान्य को जन जानकारी हेतु प्रकाशन कराया जा रहा है।

उपविधियां

1-यह उपविधियां जिला पंचायत, आगरा के समस्त ग्रामीण क्षेत्र में वर्तमान एवं भविष्य में लगने वाले दूर संचार एवं अन्य प्रकार के टावरों को नियंत्रित एवं विनियमित करने सम्बन्धी उपविधियां कहलायेगी।

2-कोई भी व्यक्ति/फर्म/कम्पनी/संस्था/अन्य आदि जिला पंचायत की परिधि में निजी/किराये पर डीलरशिप अथवा दूर संचार अथवा अन्य प्रकार के किसी टावर की स्थापना जिला पंचायत से अनुज्ञा प्राप्त किये बिना नहीं करेगा।

3-परिभाषायें-

- (i) "अधिनियम" का तात्पर्य उ०प्र० क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (यथासंशोधित) से है।
- (ii) "जिला पंचायत" का तात्पर्य जिला पंचायत, आगरा से है।
- (iii) "अध्यक्ष" का तात्पर्य अध्यक्ष, जिला पंचायत, आगरा से है।
- (iv) "ग्रामीण क्षेत्र" का तात्पर्य अधिनियम की धारा 2(10) परिभाषित आगरा जनपद के ग्रामीण क्षेत्र से है।
- (v) "अपर मुख्य अधिकारी" का तात्पर्य अपर मुख्य अधिकारी, आगरा, जिला पंचायत, आगरा से है।
- (vi) "लाईसेंस अधिकारी" का तात्पर्य अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, आगरा से है।

4—किसी भी दूरसंचार टावर के स्थापित करने से कम से कम एक माह पूर्व अपना आवेदन-पत्र लाईसेंस सक्षम अधिकारी/लाईसेंस अधिकारी को उसके मानकों के अनुरूप टावर की ऊंचाई, चौड़ाई स्थान, प्लान सहित आदि आवेदन-पत्र में स्पष्ट करते हुये प्रस्तुत करना होगा।

5—लाईसेंस अधिकारी की पूर्व स्वीकृति के बिना स्थापित टावर को जब्त करने का अधिकार अध्यक्ष, जिला पंचायत में सुरक्षित होगा।

6—स्थापित टावरों के निर्माण को विनियमित और नियंत्रित करने के सम्बन्ध में उपविधियों के प्रकाशन के दो माह के भीतर अपना आवेदन-पत्र मानकों सहित लाईसेंस अधिकारी को प्रस्तुत करने पर स्वीकार किया जायेगा। नये टावर का निर्माण जिला पंचायत से लाईसेंस प्राप्त करने के उपरान्त ही किया जायेगा।

7—कोई भी व्यक्ति/फर्म/कम्पनी/संस्था एवं अन्य को इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उनके द्वारा स्थापित टावर से पर्यावरण एवं जन साधारण को कोई क्षति नहीं होगी।

8—किसी टावर के मालिक को इस आधार पर छूट नहीं प्रदान की जायेगी कि उसने अन्य किसी निकास अथवा संस्था अथवा सरकारी विभाग से अनुज्ञा-पत्र/लाईसेंस प्राप्त कर लिया है।

9—टावरों की विद्युत आपूर्ति के लिये यदि आवश्यक हो तो "साईलेन्ट" प्रकृति के केनोपी युक्त जनरेटर का प्रयोग अनिवार्य होगा।

10—इस उपविधि के अधीन लाईसेंस पाने वाले व्यक्ति/फर्म/कम्पनी/संस्था/अन्य को स्वास्थ्य के सम्बन्ध में निम्नलिखित शर्तों का पालन करना होगा :

- (i) कोई भी दूर संचार टावर किसी पब्लिक भवन/निजी भवन जो सार्वजनिक उपयोग में हो, की छत, सार्वजनिक मार्ग पर स्थापित नहीं किया जायेगा।
- (ii) शिक्षण/चिकित्सा संस्थानों, पेट्रोल पम्प एवं गैस गोदाम में टावर की अनुज्ञा देय नहीं होगी।
- (iii) अनाधिकृत रूप से निर्मित भवन पर टावर का निर्माण अनुमन्य नहीं होगा।
- (iv) यदि टावर का निर्माण भवन की छत पर किया जाता है तो टावर का निचला भाग भवन की छत से न्यूनतम 3 मीटर ऊपर होना चाहिये।
- (v) टावर की देख-रेख हेतु लगाये गये मजदूर 18 वर्ष से कम आयु का नहीं होना चाहिये।
- (vi) टावर हेतु आवश्यक भवन आदि की फर्श की नालियां पक्की होनी चाहिये तथा उसमें आवश्यकतानुसार मरम्मत होती रहे। प्रयोग किये हुये पानी को बाहर निकालने हेतु ऐसी नालियां बनाई जाये जो स्वास्थ्य एवं स्वच्छता से अपेक्षित हो।
- (vii) लाईसेंस अधिकारी के संतोषानुसार टावर का अहाता सभी समय स्वच्छ, और संतोषजनक अवस्था में रखना होगा।
- (viii) ऐसे व्यक्ति को टावर में कार्य करने की अनुमति नहीं दी जायेगी। जो किसी संक्रामक रोग से ग्रसित हो।
- (ix) शासन द्वारा सामाजिक सुरक्षा, स्वच्छता की दृष्टि से अपनाई नीतियों से संबंधी शासनादेश स्वतः लागू समझा जायेगा।
- (x) इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेब्स, बाईप्रेशन, ध्वनि प्रदूषण आदि के रूप में होने वाले दुष्परिणामों के नियंत्रण हेतु भारत सरकार /राज्य सरकार अथवा अन्य शासकीय अभिकरण द्वारा जारी दिशा निर्देशों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।
- (xi) टावर परिसर के प्रवेश द्वार पर उचित स्थान पर चेतावनी सूचक, साईन बोर्ड लगाना अनिवार्य होगा। जिसमें "खतरा (Radio frequency) आर0एफ0 विकरण कृपया प्रवेश न करे" लिखा जाये।
- (xii) किसी भी टावर के स्थापित करने को अनुमति से पूर्व भूमि की प्रकृति उसकी लोकेशन, शान्ति व्यवस्था एवं जनता की प्रतिक्रिया इत्यादि आवश्यक पहलुओं पर संबंधित उप जिलाधिकारी, क्षेत्राधिकारी से परीक्षण कराकर अनिवार्य रूप से संतुष्टि ली जायेगी।

(xiii) किसी भी दूर संचार टावर को स्थापित करने के लिये आवेदन दिये जाने के दिनांक से 01 माह में आवेदन स्वीकार/अस्वीकार करना होगा, अन्यथा की दशा में आवेदन दिये जाने की अवधि 01 माह उपरान्त आवेदन स्वीकार माना जायेगा और टावर लगाने की आज्ञा दिये जाने पर 06 माह में आवेदनकर्ता को टावर स्थापित करना होगा।

11—नवीनीकरण की अवधि—

अवधि प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु 01 अप्रैल से 31 मार्च तक होगी। यदि नियमित समय अवधि में नवीनीकरण नहीं कराया जाता है तो 01 अप्रैल से 30 सितम्बर तक 50 प्रतिशत विलम्ब शुल्क जमा करना होगा। इसके उपरान्त लाईसेंस न लेने पर टावर स्वामी/फर्म/कम्पनी/संस्था/अन्य आदि के विरुद्ध न्यायालय में चालान की कार्यवाही की जायेगी। यह उपविधि पूर्व से स्थापित टावर स्वामी/फर्म/कम्पनी/संस्था/अन्य आदि पर भी लागू होगी।

12—लाईसेंस शुल्क—

नवीनीकरण शुल्क प्रत्येक वर्ष (03—Sector Antenna Mount) हेतु मु0 रु0 15,000.00 प्रति टावर, (04—Sector Antenna Mount) हेतु मु0 रु0 25,000.00 प्रति टावर तथा (06—Sector Antenna Mount) हेतु मु0 रु0 30,000.00 प्रति टावर होगा। जो माह मार्च तक जमा करना होगा। यह उपविधि पूर्व से स्थापित टावर स्वामी/फर्म/कम्पनी/संस्था/अन्य आदि पर भी लागू होगी।

13—यदि किसी टावर के कारण कोई दुर्घटना होती है तो उसकी प्रतिपूर्ति संबंधित स्वामी/फर्म/कम्पनी/संस्था/अन्य को करनी होगी।

14—दूर संचार टावर के स्वामी/फर्म/कम्पनी/संस्था/अन्य के मालिक को जिसकी भूमि पर टावर स्थापित किया जा रहा है। भूमि/स्थल स्वामी में अनुबन्ध/सहमति-पत्र जिला पंचायत में जमा करना होगा।

15—किसी भी आवेदन-पत्र को स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार लाईसेंस अधिकारी को होगा।

16—किसी भी टावर में किसी भी प्रकार का परिवर्तन बिना लाईसेंस अधिकारी की पूर्व अनुमति के नहीं किया जायेगा।

17—केन्द्र अथवा राज्य सरकार या अन्य कोई विधि विहित संस्था के नियंत्रण हेतु लाईसेंस यदि कोई हो से भिन्न यह लाईसेंस होगा।

18—लाईसेंस अधिकारी के निर्णय से क्षुब्ध कोई व्यक्ति ऐसे निर्णय के दिनांक से 30 दिन के अन्दर अध्यक्ष, जिला पंचायत, आगरा के यहां अपील कर सकेगा। अध्यक्ष, जिला पंचायत, आगरा का निर्णय अन्तिम एवं बाध्यकारी होगा।

दण्ड

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (यथासंशोधित 1994) की धारा 240 में प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत जिला पंचायत, आगरा यह निर्देश देती है कि जो व्यक्ति इन उपविधियों का उल्लंघन करेगा वह अर्थ दण्ड से दण्डनीय होगा। जो रु0 1,000.00 तक देय होगा और यदि ऐसा उल्लंघन जारी रहे तो अतिरिक्त अर्थदण्ड से दण्डनीय होगा, जो प्रथम दोषी सिद्धि के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिये जिसके बारे में यह सिद्ध हो जाये कि अपराधी अपराध करता रहा है मु0 100.00 रुपये प्रतिदिन तक हो सकेगा अथवा यदि अर्थदण्ड का भुगतान न किया जाये तो कारावास से दण्डनीय होगा जो तीन मास तक का हो सकेगा।

अनिल कुमार,
आयुक्त,
आगरा मण्डल, आगरा।



सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 29 अगस्त, 2020 ई० (भाद्रपद 7, 1942 शक संवत्)

भाग 8

सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गांठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आंकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आंकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार-भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि।

कार्यालय, नगर पंचायत, मसवासी, रामपुर

06 जुलाई, 2020 ई०

सं० 159/न०प०म०/2020-21-नगर क्षेत्र को स्वच्छ बनाने के लिए आदर्श नगर पंचायत, मसवासी (रामपुर) नगर पंचायत/नगर पालिका अधिनियम, 1916 व ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 में निहित प्रावधानों एवं इस निकाय की बैठक दिनांक 10 जून, 2019 के प्रस्ताव के अधीन निम्न प्रकार उपविधि बनाने के लिए सुझाव व आपत्ति प्रकाशन की तिथि के 30 दिन के अंदर आपत्ति/सुझाव मांगे जाते हैं। निर्धारित अवधि के पश्चात् प्राप्त आपत्ति/सुझाव पर विचार नहीं किया जायेगा।

नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 298 के अधीन आदर्श नगर पंचायत, मसवासी, जनपद रामपुर में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु उपविधि बनाती है।

नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन तथा स्वच्छता उपविधि, 2019

1-संक्षिप्त नाम, विस्तार व प्रारम्भ-

(क) यह उपविधियां यूजर चार्ज एवं केयरिंग चार्ज उपविधि, 2020 कहलायेगी।

(ख) उक्त उपविधियां गजट का प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगी।

2-उक्त उपविधियां आदर्श नगर पंचायत, मसवासी, जनपद रामपुर के सीमान्तर्गत लागू होंगी।

3-'अध्यक्ष' का तात्पर्य आदर्श नगर पंचायत, मसवासी, जनपद रामपुर से है।

4-'अधिशासी अधिकारी' का तात्पर्य आदर्श नगर पंचायत, मसवासी, जनपद रामपुर से है।

5-नगर ठोस अपशिष्टों का पृथक्करण-

(क) समस्त निवासियों के लिए यह अनिवार्य होगा कि वे अपने स्थानों से उत्सर्जित नगरीय ठोस अपशिष्टों के उदगम स्थल पर ही पृथक्-पृथक् सूखा व गीला कचरा उपर्युक्त ढक्कननुमा कचरा पात्र में भण्डारित करना होगा व

दिन में एक बार ही निर्धारित समय पर उनको डोर-टू-डोर संग्रहण की उपलब्ध कराई गई सेवा को मासिक शुल्क देकर निस्तारण सुनिश्चित करना होगा। ताकि आम सड़कों, मार्गों पर पंचायत द्वारा स्वच्छ करने के पश्चात् किसी प्रकार की गंदगी कूड़ा-करकट न फैले अन्यथा एंटी लिटरिंग केयरिंग चार्जज मौके पर वसूल किया जा सकेगा। पुनरावृत्ति पर न्यायालय में नियमानुसार अभियोग दायर किया जा सकेगा।

(ख) आदर्श नगर पंचायत, मसवासी, जनपद रामपुर द्वारा समय-समय पर नागरिकों को स्वच्छता के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा। इस प्रयोजन हेतु आदर्श नगर पंचायत, मसवासी, जनपद रामपुर स्थानीय रेजिडेन्ट वेलफेयर एसोसिएशन, गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों, आदर्श नगर पंचायत मसवासी, जनपद रामपुर से अनुबंधित सफाई के संविदाकारों तथा नागरिकगणों को समझाने एवं कचरा पृथक्करण कर भण्डारित करने व विधिवत परिवहन कराने के लिए प्रोत्साहित करने को अधिकृत होगा।

6-नगरीय ठोस अपशिष्टों का भण्डारण-

आदर्श नगर पंचायत मसवासी, जनपद रामपुर के द्वारा अधिकृत किये गये क्षेत्रीय संविदाकारों के माध्यम से ठोस अपशिष्टों के भण्डारण सुविधाओं की स्थापना और उनका अनुरक्षण ऐसी रीति से करेगा, जिससे कि इसके आसपास अस्वास्थ्यकर/अस्वच्छकारी परिस्थितियां पैदा न हो। भण्डारण सुविधाओं की स्थापना तथा उनका अनुरक्षण करते समय निम्नलिखित मापदण्डों को ध्यान में रखा जायेगा:-

(क) निर्दिष्ट क्षेत्रों में अपशिष्ट उत्पादन की मात्रा और जनसंख्या के घनत्व को ध्यान में रखते हुए भण्डारण सुविधाओं का सृजन और स्थापना की जायेगी। परन्तु दो भण्डारण सुविधाओं में न्यूनतम दूरी 500 मीटर की होगी और 01 किलोमीटर की परिधि में अधिकतम 05 से ज्यादा भण्डारण की सुविधा नहीं होगी। भण्डारण सुविधा मोबाइल ढक्कन द्वारा कन्टेनर के रूप में ऐसे स्थान पर ही होगी जहां प्रयोक्ता पहुंच सके।

(ख) आदर्श नगर पंचायत, मसवासी, जनपद रामपुर या किसी अन्य अभिकरण द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली भण्डारण सुविधा का डिजाइन ऐसा होगा जिससे कि इकट्ठा किया गया कूड़ा करकट वातावरण में खुले रूप में न हो सौन्दर्यपरक रूप में प्रयोक्ता को स्वीकार्य हो एवं उसे कूड़ादान के भीतर ही अपना कचरा खाली करने के लिए प्रेरित करे।

(ग) आदर्श नगर पंचायत, मसवासी, जनपद रामपुर निर्धारित कूड़ादान स्थलों पर पृथक्करण को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नानुसार रंग के पृथक-पृथक कन्टेनर भी रखवाये जा सकते हैं:-

- (1) हरा — जैव निम्नीकरण अपशिष्टों हेतु।
- (2) नीला — पुनः चक्रणयोग्य अपशिष्टों हेतु।
- (3) लाल — संकटकारी अपशिष्टों हेतु।
- (4) काला/सफेद/पीला — अन्य प्रकार के अपशिष्टों हेतु।

इन कन्टेनरों से कूड़े/अपशिष्टों के हथलन निकाले जाने और परिवहन के लिए सुगम प्रचालन डिजाइन के केरियर वाहन कॉम्पेक्टर उपयोग में लिये जायेंगे।

(घ) बाहर स्थित सभी कोऑपरेटिव सोसायटीज, एसोसिएशन, आवासीय एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के प्रबंधन की यह जिम्मेदारी होगी कि वे आवश्यक घनत्व के उपयुक्त स्थानों पर आवश्यक संख्या में अपने स्वयं के कन्टेनर, जिसकी डिजाइन आदर्श नगर पंचायत, मसवासी, जनपद रामपुर से अनुमोदित हो, अपने परिसर में स्थापित करें ताकि वहां उत्सर्जित दैनिक कचरे का भली-भांति पृथक्-पृथक् भण्डारण हो सके। जिन्हें आदर्श नगर पंचायत, मसवासी, जनपद रामपुर के वाहनों से समयबद्ध रूप से खाली करवाने हेतु आदर्श नगर पंचायत, मसवासी, जनपद रामपुर द्वारा वाहनों की उचित व्यवस्था की जायेगी।

(ङ) समस्त नागरिकों का दायित्व होगा कि वे अपने परिसर में उत्पन्न पुनः चक्रित अपशिष्टों को क्षेत्र में कार्यशील कचरा बीनने वाले (रेगपिकर्स) आदर्श नगर पंचायत, मसवासी, जनपद रामपुर द्वारा अधिकृत व्यक्ति या कबाड़ी को विक्रय कर दें व किसी भी स्थिति में आम सड़क पर कूड़ा/कचरा कबाड़ आदि न डालें। पकड़े जाने पर केयरिंग चार्ज वसूला जायेगा।

(च) कार्यवाही आदर्श नगर पंचायत, मसवासी, जनपद रामपुर द्वारा (बीओटी/वीजीएफ/स्वच्छ भारत मिशन के दिशा निर्देशों के आधार पर) की जायेगी और इस व्यवस्था को सभी आदर्श नगर पंचायत, मसवासी, जनपद रामपुर की सीमा के भीतर स्थित आवासीय, अनावासीय सरकारी भवन अर्द्ध सरकारी भवन, औद्योगिक भवन, नर्सिंग होम, विद्यालय, महाविद्यालय एवं सभी संस्थानों आदि को आदर्श नगर पंचायत, मसवासी, जनपद रामपुर द्वारा अनुमोदित यूजर चार्ज देकर अपना होगा अन्यथा ऐसे ठोस अपशिष्ट फैलाने वालों से केयरिंग चार्ज मौके पर तत्काल वसूल किया जा सकेगा अथवा अभियोग दायर किया जा सकेगा।

(छ) बूचड़खाना, माँस-मछली बाजारों, फल एवं सब्जी बाजारों के अपशिष्ट को जो जैव निम्नकरणीय प्रवृत्ति का होता है, प्रबंध इस प्रकार किया जायेगा ताकि ऐसे अपशिष्ट को उपयोग में लाया जा सके और इनमें कोई संक्रामक बीमारियाँ नहीं फैले। इसको सुनिश्चित करने के लिए ऐसे व्यवसायियों को स्वतः अपने स्तर से प्रबंधन कर इनका नियमानुसार निस्तारण सुनिश्चित करना होगा अथवा आदर्श नगर पंचायत, मसवासी, जनपद रामपुर द्वारा डोर-टू-डोर संग्रहण, परिवहन व निस्तारण हेतु लागू योजना को अपनाकर इसका पालन सुनिश्चित करना होगा अन्यथा अपशिष्ट फैलाने पर केयरिंग चार्ज मौके पर वसूल किये जा सकेंगे अथवा न्यायालय में अभियोग दायर किया जा सकेगा।

(ज) जैव चिकित्सीय, अपशिष्ट तथा औद्योगिक अपशिष्टों को नगरीय ठोस अपशिष्ट के साथ नहीं मिलाया जायेगा और ऐसे अपशिष्टों का संग्रहण इस प्रयोजन के लिए पृथक् रूप से विनिर्दिष्ट नियमों के अनुसार किया जायेगा। जैव चिकित्सीय अपशिष्ट के नियमानुसार निस्तारण हेतु कॉमन बायोमेडिकल ट्रीटमेंट फैसिलिटी सयंत्र से देय निर्धारित शुल्क पर ऐसे हानिकरक अपशिष्ट का निस्तारण सुनिश्चित करना होगा।

(झ) आवासीय और अन्य क्षेत्रों से संग्रहीत अपशिष्ट को पृथक्-पृथक् ट्राई साईकिल रिक्शों अथवा ऑटो टिपर गाड़ियों से निर्धारित सामुदायिक कूड़ाघर/ढके हुए कन्टेनरों से प्रसंस्करण प्लांट पर डलवाया जायेगा।

(ञ) बागवानी और निर्माण/ढहाए गये कार्यों से उदभूत अपशिष्टों/मलबे को अलग-अलग संग्रहित किया जायेगा एवं समुचित मानकों के अनुसार इनका व्ययन किया जायेगा। आदर्श नगर पंचायत, मसवासी, जनपद रामपुर द्वारा इस हेतु सप्ताह में एक दिवस निर्धारित कर अपेक्षा की जायेगी कि बागवानी से अपशिष्ट को आदर्श नगर पंचायत, मसवासी, जनपद रामपुर के निर्धारित नजदीक के कूड़ाघर पर मध्याह्न तक आवश्यक रूप से डलवा दिया जाये ताकि उनका समय पर परिहवन संभव हो सके। निजी निर्माण/ढहाये गये मकानों के ठोस अपशिष्ट अपने स्वयं प्रबंधन पर अथवा आदर्श नगर पंचायत, मसवासी, जनपद रामपुर द्वारा अधिकृत संविदाकार को देय निर्धारित शुल्क पर परिवहन करवाकर निर्धारित चिन्हित गंतव्य स्थल तक पहुंचाना होगा। खुले स्थलों, मार्गों, सार्वजनिक स्थलों पर अनाधिकृत रूप से अपना ऐसा निजी मलवा डालना/ रखना अधिनियम व नियमों के तहत दंडनीय होगा।

(ट) अपशिष्ट (कूड़ा करकट, सूखी पत्तियों) को जलाया नहीं जायेगा।

(ठ) कोई भी स्वामी अपने परिसर, प्लाट आदि का प्रयोग कूड़ा डालने (स्वयं व अन्य) तथा अपशिष्ट को जमा करने में प्रयोग नहीं करेगा न करने देगा।

(ड) कोई भी व्यक्ति/फर्म अपने आवास/प्रतिष्ठान/फैक्ट्री का दूषित पानी बोर कर भूगर्भ जल में नहीं डालेगा।

(ढ) आवारा पशुओं को अपशिष्ट कूड़ादान स्थलों अथवा बाहर में किसी अन्य स्थान के आस-पास मूकरूप से घूमने नहीं दिया जायेगा तथा उनका अधिकृत क्षेत्र/स्थल पर ही प्रबंध करना होगा।

(ण) कोई भी व्यक्ति अपने भवन, संस्थान, व्यापारिक प्रतिष्ठान से गंदा पानी, कीचड़, नाईट स्वायल गोबर, मलमूत्र, दूषित जल अपने परिसर में इस प्रकार न तो एकत्रित रखेगा न सार्वजनिक मार्गों पर बहने देगा जिससे वातावरण दुर्गन्ध से प्रदूषण हो एवं जनस्वास्थ्य को हानि होने की संभावना रहे अथवा आवागमन में बाधक हो अन्यथा उसके विरुद्ध तत्काल केयरिंग चार्ज वसूल किया जा सकेगा एवं न्यायालय में अभियोजन किया जा सकेगा।

(त) कोई व्यक्ति किसी प्रकार का मृत मवेशी अथवा उसके अवशेष सार्वजनिक पार्को इत्यादि में एकत्रित कर किसी प्रकार का प्रदूषण गंदगी फैलाते हुए पाया जाता है तो दंडनीय अपराध होगा और उससे केयरिंग चार्ज भी वसूला जायेगा।

(थ) कोई भी व्यक्ति अपने पालतू पशुओं को सार्वजनिक स्थल पर खुला नहीं छोड़ेगा।

7-नगर पंचायत, मसवासी, रामपुर, जनपद रामपुर का दायित्व-

(क) आदर्श नगर पंचायत, मसवासी, जनपद रामपुर प्रशासन द्वारा आदर्श नगर पंचायत सीमान्तगत स्थित सभी सार्वजनिक मार्गों, स्थलों, कच्ची बस्तियों, झुग्गी-झोपड़ी, क्षेत्रों, बाजारों, पर्यटक स्थलों के आसपास आदर्श नगर पंचायत, मसवासी, जनपद रामपुर के स्वयं के उद्यानों, शमशान इत्यादि में प्रतिदिन व सम्पूर्ण वर्ष भर सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी एवं यहां से एकत्रित किया गया कचरा कूड़ा, नजदीक के घोषित कूड़ादान/कन्टेनर में एकत्रित करवा कर वहां से प्रतिदिन उसका परिवहन अन्तिम निस्तारण स्थल तक बंद वाहनों में करवाने के लिए प्रतिबद्ध होगी जिसके लिए आदर्श नगर पंचायत, मसवासी, जनपद रामपुर अपने स्वयं के स्थाई सफाई कर्मचारियों एवं वाहनों के लिए अन्य सफाई कर्मचारी रहित कॉलोनियों, क्षेत्रों में निजी संविदाकार से सम्पूर्ण अथवा आंशिक दैनिक सफाई कार्य करवाने के लिए अधिकृत होगी ताकि प्रत्येक क्षेत्र में नगरीय निकाय द्वारा जन स्वास्थ्य के हित में स्वच्छता व सुन्दरता सुनिश्चित करने में समर्थ हो सके।

(ख) बाहर की दैनिक सम्पूर्ण सफाई व्यवस्था के प्रबंधन हेतु आदर्श नगर पंचायत, मसवासी, जनपद रामपुर अपने बाहरी क्षेत्र के प्रत्येक वार्ड में एक वार्ड कार्यालय (शिकायत केन्द्र) आवश्यकतानुसार उपयुक्त स्थानों पर कूड़ादान/कन्टेनर सार्वजनिक शौचालय/मूत्रालय) सामुदायिक कूड़ादान कचरे को ट्रांसफर स्टेशन बाहर के कूड़े के अंतिम निष्कासन हेतु कचरागाह (लेण्डफिल) प्रोसेसिंग यूनिट इत्यादि स्थापित करने को स्वतंत्र होगा। आदर्श नगर पंचायत, मसवासी, जनपद रामपुर के क्षेत्र की सफाई व्यवस्था को नियंत्रण एवं ठोस अपशिष्ट निर्माता द्वारा अपनाया जायेगा।

8-नगरीय ठोस अपशिष्ट का संग्रहण-

आदर्श नगर पंचायत, मसवासी, जनपद रामपुर क्षेत्र में नगरीय, ठोस अपशिष्टों या कूड़ा करकट फैलाना निषेध होगा। यदि कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थलों मार्गों, निजी खुले स्थलों, पार्कों, पानी के स्रोतों इत्यादि पर गंदगी कूड़ा-करकट फैलाते व रखते पाया गया तो आदर्श नगर पंचायत, मसवासी, जनपद रामपुर द्वारा प्राधिकृत अधिकारी जो निरीक्षक के स्तर से कम का नहीं हो संलग्न "अनुसूची-अ" में घोषित/समय-समय पर आदर्श नगर पंचायत, मसवासी, जनपद रामपुर द्वारा निर्धारित केयरिंग चार्ज ऐसे दोषी व्यक्तियों से मौके पर ही वसूल करने का सक्षम होगा। आदर्श नगर पंचायत, मसवासी, जनपद रामपुर द्वारा इस हेतु-

(क) नगरीय ठोस अपशिष्ट नियम, 2016 के अनुपालन में घर-घर से कचरा एकत्रित करने के लिए "स्वच्छता मित्र आपके द्वारा" योजना पंचायत के सभी क्षेत्रों/वार्डों में लागू की जायेगी।

(ख) घर-घर से कचरा संग्रहण हेतु क्षेत्र में निश्चित समय का निर्धारण अनिवार्य रूप से किया जायेगा। सामान्यतः समय प्रातः 7.00 बजे से 12.00 बजे तक निर्धारित रूप से किया जायेगा। किन्तु विशेष सफाई के प्रयोजनार्थ आदर्श नगर पंचायत, मसवासी, जनपद रामपुर द्वारा निर्धारित समय का पालन सुनिश्चित किया जायेगा। प्रत्येक कचरा संग्रहण कार्यकर्ता की ट्राई साईकिल पर घंटी/भोपू, लाउडस्पीकर (जिसकी आवाज अनुज्ञेय मापदण्ड से अधिक न हो) भी लगाया जाये, ताकि कचरा संग्रहण के समय इसे बजाकर निवासियों को सूचित किया जा सके।

(ग) व्यावसायिक क्षेत्रों में व्यापारिक प्रतिष्ठानों/दुकानों से कचरा संग्रहण हेतु सामान्यतः समय प्रातः 09.00 बजे से 01.00 बजे तक रखा जायेगा।

(घ) आदर्श नगर पंचायत, मसवासी, जनपद रामपुर की सीमा के भीतर स्थित आवासीय, अनावासीय, सरकारी भवन, अर्द्ध सरकारी भवन, औद्योगिक भवन, नर्सिंग होम, विद्यालय महाविद्यालय एवं सभी संस्थानों आदि से कचरा संग्रह योजना के तहत यूजर चार्ज दरें निम्नानुसार दरें प्रस्तावित हैं-

क्र०सं०	उपयोग का प्रकार	अवधि	प्रस्तावित दरें
1	2	3	4
			रु०
1	गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले-		
	(अ) झोपड़ी	प्रतिमाह	निःशुल्क
	(ब) पक्का घर/फ्लैट/ई०डब्ल्यू०एस० (1 बी०एच०के०) 30 वर्ग मीटर तक	प्रतिमाह	निःशुल्क

1	2	3	4
			रु०
2	30 से 100 वर्ग मीटर तक के भवनों पर	प्रतिमाह	निःशुल्क
3	100 से 200 वर्ग मीटर तक के भवनों पर	प्रतिमाह	20.00
4	200 वर्ग मीटर से अधिक	प्रतिमाह	30.00
5	दुकानों पर	प्रतिमाह	30.00
6	हाथ-टेला व्यवसायियों पर	प्रतिमाह	20.00
7	सभी प्रकार के रेस्टोरेंट—	प्रतिमाह	250.00
8	होटल/लॉज/गेस्ट हाउस—		
	(अ) 20 बेड तक	प्रतिमाह	1,000.00
	(ब) 20 से 40 बेड तक	प्रतिमाह	1,500.00
	(स) 41 से अधिक बेड तक	प्रतिमाह	2,000.00
	(द) 100 वर्ग मीटर से अधिक (तीन सितारा व उससे अधिक)	प्रतिमाह	2,500.00
9	धर्मशाला—		
	(अ) अवातानुकूलित धर्मशाला	प्रतिमाह	200.00
	(ब) वातानुकूलित धर्मशाला	प्रतिमाह	500.00
	(स) दोनों वातानुकूलित व अवातानुकूलित धर्मशाला	प्रतिमाह	350.00
10	मैरिजहॉम—		
	(अ) 1000 वर्गमीटर तक	प्रतिमाह	500.00
	(ब) 1001 से 5000 वर्गमीटर तक	प्रतिमाह	1,000.00
	(स) 5001 वर्गमीटर से अधिक	प्रतिमाह	1,500.00
11	कार्यालय सरकारी एवं गैर सरकारी/प्राइवेट लि०/एक्सपोर्ट फर्म/क०—		
	(अ) 50 से 300 कर्मचारी तक	प्रतिमाह	500.00
	(ब) 301 कर्मचारी से अधिक	प्रतिमाह	1,000.00
12	स्कूल शिक्षण संस्थान होस्टल सहित—		
	(अ) 100 बेड तक	प्रतिमाह	500.00
	(ब) 100 बेड से अधिक	प्रतिमाह	1,000.00
13	स्कूल/शिक्षण संस्थान/सरकारी एवं गैरसरकारी—		
	(अ) 500 छात्र/छात्रा	प्रतिमाह	500.00
	(ब) 500 से अधिक छात्र/छात्रा	प्रतिमाह	1,000.00
14	इंजी०/एम०बी०ए०/व्यवसायिक शिक्षण संस्थान/सरकारी एवं गैर सरकारी—		
	(अ) 0 से 1000 छात्र/छात्राओं तक	प्रतिमाह	2,000.00
	(ब) 1001 से अधिक छात्र/छात्राओं तक	प्रतिमाह	3,000.00
15	सरकारी अस्पताल/निजी अस्पताल/नर्सिंग होम—		
	(अ) 20 बेड तक	प्रतिमाह	500.00
	(ब) 21-40 बेड	प्रतिमाह	1,500.00
	(स) 40-100 बेड तक	प्रतिमाह	2,000.00
	(द) 100 बेड से अधिक	प्रतिमाह	3,000.00

1	2	3	4
			रु०
16	क्लीनिक/पैथालॉजी/एक्सरे (चिकित्सकीय कूड़ा रहित)– (अ) क्लीनिक (ब) पैथालॉजी/एक्सरे	प्रतिमाह प्रतिमाह	200.00 500.00
17	शोरूम–	प्रतिमाह	1,000.00
18	मॉल/व्यावसायिक कॉम्प्लैक्स– (अ) 1 से 2000 मी० तक (ब) 2001 से अधिक	प्रतिमाह प्रतिमाह	1,000.00 2,000.00
19	(1) औद्योगिक इकाई एवं उत्पादन संस्थायें (फैक्ट्री)– (अ) 1 से 2000 मी० तक (ब) 2000 से अधिक	प्रतिमाह प्रतिमाह	1,000.00 1,500.00
20	पब्लिक/प्राइवेट प्रदर्शनी/विवाह/प्रतियोगिता आदि–	प्रतिमाह	1,500.00
21	पेट्रोल पम्प (सभी प्रकार के)	प्रतिमाह	1,500.00
22	गाय, भैंस, पालन (प्रति पशु) मुर्गी पालन, सुअर पालन/पिग फर्म	प्रतिमाह	100.00
23	शराब की दुकान– (अ) केवल शराब की दुकान (ब) कैन्टीन के साथ शराब की दुकान	प्रतिमाह प्रतिमाह	200.00 1,500.00 2,000.00
24	बैंक	प्रतिमाह	1,000.00

(ड) घर-घर कचरा संग्रहण कार्य हेतु उपरोक्तानुसार निर्धारित शुल्क प्रत्येक घर से पालिका के अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी/कर्मचारी अथवा पंचायत द्वारा अधिकृत संस्था/व्यक्ति द्वारा ही वसूल किया जायेगा। उक्त दरों की संस्था/व्यक्ति द्वारा उचित रीति से प्रचार-प्रसार किया जायेगा एवं दरों को रिक्शा ट्रॉली/ऑटो ट्रिपर पर भी प्रदर्शित किया जायेगा। अधिकृत संस्था/व्यक्ति को रिक्शा ट्राली/ऑटो ट्रिपर पर संस्था/व्यक्ति का नाम व मोबाइल नम्बर लिखना होगा।

(च) संस्था/व्यक्ति को निर्धारित प्रपत्र में साप्ताहिक रिपोर्ट संबंधित आदर्श नगर पंचायत, मसवासी, जनपद रामपुर के अधिकृत अधिकारी/प्रतिनिधि को प्रस्तुत करनी होगी।

(छ) आवासीय भवन/अनावासीय भवन/होटल/रेस्टोरेन्ट/कार्यालय परिसरों/वाणिज्यिक क्षेत्रों सहित झुग्गी झोपड़ी/इधर-उधर फैले क्षेत्रों तथा बस्तियों से अपशिष्ट संग्रह करने हेतु व्यवस्था की जायेगी। इन संस्थानों से उत्सर्जित बायो डिग्रेडेबल सबस्टेन्स के उद्गम स्थल से बंद वाहनों में एकत्रित कर, बंद वाहनों से परिवहन कर नियमानुसार इनके अंतिम निस्तारण स्थल पर ले जायेगा।

(ज) इन कन्टेनर के अपशिष्ट को मानव द्वारा उठाई-धराई किया जाना प्रतिबद्ध करना आदि किसी कठिनाई के कारण ऐसा करना अपरिहार्य हो तो कर्मकार की सुरक्षा को सम्यक् रूप से ध्यान में रखते हुए समुचित पूर्ण सावधानी के अधीन मानव द्वारा उठाई-धराई की जा सकेगी।

(झ) किसी भी व्यक्ति द्वारा जनसुविधा के लिए आदर्श नगर पंचायत, मसवासी, जनपद रामपुर द्वारा सड़कों/मार्गों/पार्कों इत्यादि पर अपशिष्टों का भण्डारण हेतु उपलब्ध करवाये गये विभिन्न क्षमता के बिनस अथवा कंटेनर के भीतर कचरा न डालकर जानबूझकर कचरा बाहर फैलाना निषेध होगा व ऐसा पाये जाने वाले व्यक्ति/संस्था से मौके पर ही केयरिंग चार्ज वसूला जायेगा।

(ञ) आदर्श नगर पंचायत, मसवासी, जनपद रामपुर कन्टेनर्स रहित स्थानों पर कचरा बार-बार उठाने की व्यवस्था सुनिश्चित करेगी ताकि सड़कों पर कचरा न पड़ा रहे।

9-नगरीय ठोस अपशिष्ट का परिवहन-

अपशिष्टों का परिवहन करने के लिए प्रयोग में लाये जाने वाले वाहन ऊपर से भली-भांति ढके हुए होंगे ताकि अपशिष्ट लोगों को न तो दिखाई दे सके और न ही यातायात के दौरान अपशिष्ट मार्गों पर बिखर सके तथा इसके लिए निम्नलिखित मानदण्डों को अपनाया जायेगा।

10-(क) स्थापित भण्डारक सुविधाओं से प्रतिदिन कूड़ा-कचरा साफ किया जायेगा। कूड़ादान के साथ-साथ आस-पास का क्षेत्र भी साफ रखा जायेगा।

(ख) परिवहन वाहनों का डिजाइन ऐसा होगा जिससे की अपशिष्ट की अन्तिम व्ययन करने से पूर्व बार-बार की जाने वाली उठाई-धराई से बचा जा सके।

11-अभियोजन/शास्तियां-

आदर्श नगर पंचायत, मसवासी, जनपद रामपुर के उपरोक्त उपविधि का पालन नहीं करने अथवा उसका उल्लंघन करने पर आदर्श नगर पंचायत, मसवासी, जनपद रामपुर द्वारा नगर पंचायत अधिनियम, 1916 के तहत अभियोजन किया जा सकेगा तथा पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम, 1986 पर तत्धीन निर्मित नियमों के अनुसार अभियोजन स्वीकृति के लिए पर्यावरण विभाग को सिफारिश कर सकेगा।

(1) इन उपविधियों के प्रवर्तन आने से पूर्व में निश्चित उपविधियों के अन्तर्गत किया हुआ कोई कार्य केवल इन उपविधियों के प्रभावशील हो जाने के कारण अवैध नहीं समझा जायेगा बशर्ते कि ऐसा कार्य इन उपविधियों के विपरीत न हों।

(2) ऐसा निरसन इस प्रकार निश्चित उपविधियों के अधीन किसी भी बात या किसी भी कार्यवाही या अर्जित या उपगत किसी अधिकार विशेषाधिकार बाध्यता या दायित्व में दी गयी किसी शास्ति, सम्पराव या किये गये किसी अन्वेषण या लंबित किसी विधि कार्यवाही को प्रभावित नहीं करेगा।

(3) यदि कोई व्यक्ति यूजर चार्ज/जुर्माना/केयरिंग चार्ज देने में असफल रहता है तो उसके प्रति नगर पंचायत अधिनियम, 1916 की धाराओं के अन्तर्गत दण्डनीय कार्यवाही की जायेगी तथा भू-राजस्व की भांति वसूली तथा नगर पंचायत अधिनियम के अन्तर्गत चालान आदि कार्यवाही की जायेगी।

4-"अनुसूची-अ"

उपविधियों के उल्लंघन में किये गये कृत्यों के लिए निर्धारित केयरिंग चार्ज-

क्र0सं0	कृत्य	नगर पंचायत आरोपित धनराशि
1	2	3
		रु0
1	अवासीय भवन स्वामियों द्वारा खुले में कचरा डालने पर	100.00 प्रतिदिन
2	दुकानदारों द्वारा खुले में कचरा डालने पर	250.00 प्रतिदिन
3	रेस्टोरेन्ट मालिक द्वारा खुले में कचरा डालने पर	250.00 प्रतिदिन
4	होटल मालिक द्वारा खुले में कचरा डालने पर	500.00 प्रतिदिन
5	औद्योगिक प्रतिष्ठानों द्वारा खुले में कचरा डालने पर	7,500.00 प्रतिदिन
6	हलवाई, चॉट, पकौड़ी, फास्ट फूड, आइस्क्रीम, गन्ने का रस एवं अन्य जूस सब्जी एवं फ्रूट आदि ठेला व्यावसायियों द्वारा सार्वजनिक स्थान पर कूड़ा डालने पर	250.00 प्रतिदिन
7	डेरियों मालिकों द्वारा गोबर को सार्वजनिक स्थानों पर फेंकना नाला/नाली में बहाने पर	1,000.00 प्रतिदिन
8	निजी मकान द्वारा इत्यादि के निर्माण का मलबा, सामग्री, ईंट, सीमेन्ट, लोहा, पत्थर सरकारी भूमि पर डालने पर	500.00 प्रतिदिन
9	निजी ट्रेक्टरों द्वारा बजरी, कचरा, मलबा, गोबर इत्यादि परिवहन करते हुये नगर पंचायत की सड़कों पर अपनी सामग्री बिखेरने व गन्दगी फैलाने पर	500.00 प्रतिदिन
10	बिना सक्षम स्वीकृति के रोडकटिंग करने पर तथा नाला/नाली तोड़ने की दशा में	250.00 प्रतिदिन
11	अपने मकान/भवन का सेप्टिक टैंक न होने/सीवरेज कनेक्शन नहीं लेकर सीवरेज की गन्दगी आम नाली/नाले में बहाने पर	500.00 प्रतिदिन
12	क्रमांक 02 से 6 तक वर्णित व्यवसायियों द्वारा अपने व्यवसाय स्थल का कचरा एकत्रित रखने के लिये निर्धारित ढक्कनदार कचरा पात्र आवश्यक क्षमता का नहीं रखने पर	250.00 प्रतिदिन

1	2	3
		रु0
13	दुकानदार एवं टेला व्यवसायियों द्वारा सड़क पर बैठ कर स्कूटर व साइकिल रिपेयरिंग कर ऑयल, मिट्टी व पानी फैलाकर गंदगी करने पर	250.00 प्रतिदिन
14	मीट की दुकानों के सामने दुकानदार द्वारा काटे गये जानवरों की हड्डियाँ, मलबा, मलीदा, खून, मुर्गे के पंख, अण्डे के छिलके इत्यादि सड़क, आम रास्ते में डालकर गन्दगी फैलाने पर	250.00 प्रतिदिन
15	आम रास्ता, सड़क व मकान के सामने गाय, भैंस, बकरी, कुत्ते, भेड़, ऊंट, गधा, घोड़ा, सुअर इत्यादि पालतू जानवरों से गन्दगी फैलाने पर	100.00 प्रतिदिन
16	शादी/विवाह स्थालों पर कूड़ा, सार्वजनिक स्थल पर कूड़ा डालने पर	1,000.00 प्रतिदिन
17	सार्वजनिक स्थान, जमीन व सड़क के किनारे बैठ कर सब्जियाँ बेचकर छिलके व अंश सड़क पर डालने व गन्दगी फैलाने पर	100.00 प्रतिदिन
18	हेयर कटिंग सैलून वालों द्वारा आम रास्ता व सड़क पर गन्दगी, बाल इत्यादि डालने पर	100.00 प्रतिदिन
19	दुकानदारों अथवा व्यवसायियों द्वारा आम रास्ता, सड़क अथवा दुकानों के सामने की गली, सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर भवन सामग्री डालकर व्यवसाय करने पर	1,500.00 प्रतिदिन
20	आम रास्ता, सड़क, फुटपाथ पर सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर भोजनालय, ढाबा चलाकर गन्दगी फैलाने पर	1,000.00 प्रतिदिन
21	प्राइवेट अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लीनिक, दवाखाना इत्यादि द्वारा आम रास्तों, सड़क, फुटपाथ पर गन्दगी फैलाने पर	1,500.00 प्रतिदिन
22	विभिन्न चिकित्सीय संस्थानों जैसे प्राइवेट अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लीनिक, पैथोलॉजी इत्यादि के जैव चिकित्सीय अपशिष्ट को नगरीय ठोस अपशिष्ट में अथवा सार्वजनिक स्थान पर डालने पर	2,000.00 प्रतिदिन
23	सड़क के किनारे वाशिंग मशीन लगाकर गाड़ियों की धुलाई करने की दशा में	1,000.00 प्रतिदिन
24	खुले में शौच करने पर व सड़क के किनारे शौच करने पर	100.00 प्रतिदिन
25	व्यावसायिक प्रतिष्ठान पर डस्टबीन न रखने पर	पहली बार 100.00 प्रतिदिन दोबारा पाये जाने पर 500.00 प्रतिदिन
26	खुले में व सड़क के किनारे पेशाब करने पर	100.00 प्रतिदिन

11—उपविधियों का उल्लंघन करने पर स्थल पर जुर्माना/केयरिंग चार्ज लगाने का अधिकार अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किया जायेगा।

12—अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी को यह अधिकार होगा कि प्रत्येक 5 वर्ष में केयरिंग/यूजर चार्ज का पुनरीक्षण करायेंगे। अपरिहार्य परिस्थितियों में यदि चार्ज का पुनरीक्षण न हो सका तो 5 वर्ष में निर्धारित चार्ज में 10 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए चार्ज वसूलना सुनिश्चित करायेंगे।

ह0 (अस्पष्ट),
अध्यक्ष,
आदर्श नगर पंचायत, मसवासी,
रामपुर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स तोमर ट्रांसपोर्ट, तिलक नगर भोपा रोड, मुजफ्फरनगर में दिनांक 04 मार्च, 2020 की डीड के अनुसार धर्मेन्द्र मलिक पुत्र श्री सीताराम, निवासी ग्राम व पोस्ट पीनना, जिला मुजफ्फरनगर व उधम सिंह पुत्र श्री लटूर सिंह, निवासी B-92/12 कैडिया वाटिका संजय मार्ग, मुजफ्फरनगर फर्म से रिटायर हो गये तथा इसी दिनांक को फर्म में अंकित तोमर पुत्र श्री सतीश कुमार तोमर, अर्पित तोमर पुत्र श्री सतीश कुमार तोमर, निवासीगण 60/107 लक्ष्मण विहार, मुजफ्फरनगर व संदीप चौधरी पुत्र श्री मनोज कुमार, निवासी 892/2 कैडिया वाटिका संजय मार्ग, मुजफ्फरनगर सम्मिलित हो गये हैं। वर्तमान में सतीश कुमार तोमर, अर्पित कुमार, अंकित तोमर व संदीप चौधरी पार्टनर रह गये हैं।

सतीश कुमार तोमर,
पार्टनर,
मेसर्स तोमर ट्रांसपोर्ट,
तिलक नगर भोपा रोड, मुजफ्फरनगर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं लवकुश पुत्र दौलत, निवासी ग्राम बसोहनी, थाना मंझनपुर, जनपद कौशाम्बी जोकि उत्तर मध्य रेलवे के सहायक कार्मिक अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ। मेरा आज से संशोधित नाम लवकुश सिंह रावत पुत्र श्री दौलत के नाम से जाना जायेगा।

लवकुश सिंह रावत,
पुत्र श्री दौलत,
ग्राम बसोहनी, थाना मंझनपुर,
जनपद कौशाम्बी, उ०प्र०।

सूचना

सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स भाटिया इन्टरप्राइजेज, डी०-41, नियर नटराज सिनेमा, गोविन्द नगर, कानपुर नगर-208006 के पते पर पंजीकृत है। फर्म के भागीदारों में से एक भागीदार श्री केदार नाथ भाटिया पुत्र स्व० हरीराम भाटिया, निवासी डी०-41, नियर नटराज सिनेमा, गोविन्द नगर, कानपुर का स्वर्गवास दिनांक 13 नवम्बर, 2018 को हो गया। अतः फर्म में अब 3 भागीदारों की जगह 2 वर्तमान भागीदार (1) श्री दीपक भाटिया (2) श्री गौतम भाटिया पुत्रगण स्व० केदार नाथ भाटिया, निवासीगण डी०-41, नियर नटराज सिनेमा, गोविन्द नगर, कानपुर नगर-208006 हैं।

पार्टनर-दीपक भाटिया,
मेसर्स भाटिया इन्टरप्राइजेज,
डी०-41, नियर नटराज सिनेमा,
गोविन्द नगर, कानपुर नगर-208006.

सूचना

फर्म मेसर्स बन्सल टी० कारपोरेशन, 59/42, बिरहाना रोड, कानपुर नगर के पूर्व साझीदार श्री घनश्याम दास अग्रवाल पुत्र स्व० गुमानी राम अग्रवाल, निवासी 128/440/एच-2, किदवई नगर, कानपुर नगर की मृत्यु दिनांक 02 नवम्बर, 2010 को हो गयी है तथा श्री पवन कुमार बंसल पुत्र स्व० घनश्याम दास अग्रवाल, निवासी, 128/440/एच-2, किदवई नगर, कानपुर नगर एवं श्रीमती गायत्री देवी बंसल पत्नी श्री नरेश कुमार बंसल, निवासी 128/440/एच-2, किदवई नगर, कानपुर नगर सम्मिलित हो गये हैं।

नरेश कुमार बंसल,
पार्टनर।

सूचना

फर्म मेसर्स बन्सल टी० कम्पनी, 59/42, बिरहाना रोड, कानपुर नगर के पूर्व साझीदार श्री घनश्याम दास अग्रवाल पुत्र स्व० गुमानी राम अग्रवाल, निवासी 128/440/एच-2, किदवई नगर, कानपुर नगर की मृत्यु दिनांक 02 नवम्बर, 2010 को हो गयी है उनके स्थान पर श्री सतीश कुमार बन्सल पुत्र स्व० श्री घनश्याम दास अग्रवाल, निवासी 128/440/एच-2, किदवई नगर, कानपुर नगर फर्म में सम्मिलित हो गये हैं।

नरेश कुमार बंसल,
पार्टनर।

सूचना

फर्म मेसर्स श्री अनुपम डेवलपर्स, 113/233, स्वरूप नगर, कानपुर नगर में श्रीमती दीपा सक्सेना पत्नी श्री अनिल कुमार सक्सेना, निवासी फ्लैट नंबर 302-7/29-ए, चित्रकूट अपार्टमेन्ट, तिलक नगर, कानपुर नगर दिनांक 31 मार्च, 2015 को स्वेच्छा से इस्तीफा दे दिया है तथा श्री संजय कुमार सिंह पुत्र स्वर्गीय खगेन्द्र सिंह एवं श्रीमती मधु सिंह पत्नी श्री सुनील कुमार सिंह, निवासी सी-15, सर्वोदय नगर, कानपुर दिनांक 12 सितम्बर, 2019 को सम्मिलित हो गये हैं।

श्री मुकेश जैन,
पार्टनर।

सूचना

फर्म मेसर्स मुन्ना लाल गुप्ता कान्स्ट्रक्टर, 272, करमगंज, इटावा में श्रीमती सरला गुप्ता पत्नी श्री मुन्ना लाल गुप्ता, निवासी 272, करमगंज, इटावा दिनांक 31 मार्च, 2016 को स्वेच्छा से रिटायर्ड हो गयी है तथा दिनांक 28 जुलाई, 2017 को श्रीमती सरला गुप्ता का स्वर्गवास हो गया है तथा फर्म का पता 272 करमगंज,

इटावा के स्थान पर 30, सीताराम कालोनी, फेज-II, इण्डिया कार्स्टिंग कम्पाउण्ड, बल्केश्वर रोड, आगरा-282004 किया गया है। फर्म में वर्तमान में पार्टनर हो गये हैं—

1—श्री मुन्ना लाल गुप्ता पुत्र श्री श्रीकृष्ण गुप्ता, निवासी पूर्व पता 272 करमगंज, इटावा वर्तमान पता 30 सीताराम कालोनी, फेज-II, बल्केश्वर रोड, दयालबाग, आगरा- 282005।

2—श्री अतुल कुमार गुप्ता पुत्र श्री मुन्ना लाल गुप्ता निवासी पूर्व पता 272 करमगंज, इटावा वर्तमान पता 30 सीताराम कालोनी, फेज-II, बल्केश्वर, दयालबाग, आगरा- 282005।

अतुल कुमार गुप्ता,
पार्टनर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स एस0पी0 मेटल्स उद्योग, इंडस्ट्रियल एरिया यू0पी0एस0आई0डी0सी0, सण्डीला-II, जिला हरदोई-241204 रजि0 नं0 HAR/0006811का पंजीकरण दिनांक 22 जुलाई, 2020 को कराया गया था जिसमें प्रवेश यादव प्रथम एवं सुचि अग्रवाल द्वितीय साझेदार थे, जिसमें प्रथम साझेदार फर्म से हट गये हैं। जिनके स्थान पर श्री शैलेश कुमार श्रीवास्तव पुत्र श्री द्वारिका प्रसाद श्रीवास्तव, निवासी 107 समर विहार कालोनी, आलमबाग, लखनऊ को शामिल कर लिया गया है। उक्त फर्म के प्रथम साझेदार का भविष्य में कोई लेना-देना नहीं होगा। वर्तमान में उक्त फर्म में सुचि अग्रवाल प्रथम एवं शैलेश कुमार श्रीवास्तव द्वितीय साझेदार के रूप में सम्मिलित हैं।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक रूप से औपचारिकताओं का पालन स्वयं मेरे द्वारा किया गया है।

सुचि अग्रवाल,
साझेदार,

मेसर्स "एस0पी0 मेटल्स उद्योग",
एस0पी0 मेटल्स उद्योग, इंडस्ट्रियल एरिया,
यू0पी0एस0आई0डी0सी0, सण्डीला-II,
जिला हरदोई-241204.

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स "निशान्त इन्टरप्राइजेज", 116, लक्ष्मणपुरी, फैजाबाद रोड, लखनऊ रजि0 नं0 186371 का पंजीकरण दिनांक 10 मई, 2002 को कराया गया था जिसमें दीपक कुमार श्रीखण्डें प्रथम, मनीष कुमार द्वितीय, शैलेन्द्र श्रीखण्डें

तृतीय, श्रीमती लिली श्रीखण्डें चतुर्थ एवं धर्मेन्द्र श्रीखण्डें पांचवें साझेदार हैं। उक्त फर्म के द्वितीय साझेदार मनीष कुमार दिनांक 01 अक्टूबर, 2007 से स्वेच्छा से उक्त फर्म से अलग हो गये हैं तथा उक्त तिथि से फर्म से इनका कोई लेना-देना नहीं होगा वर्तमान में उक्त फर्म में शैलेन्द्र श्रीखण्डें प्रथम, धर्मेन्द्र श्रीखण्डें द्वितीय, श्रीमती लिली श्रीखण्डें तृतीय एवं दीपक कुमार श्रीखण्डें चतुर्थ साझेदार के रूप में सम्मिलित हैं।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक रूप से औपचारिकताओं का पालन स्वयं मेरे द्वारा किया गया है।

शैलेन्द्र श्रीखण्डें,
साझेदार,

मेसर्स "निशान्त इन्टरप्राइजेज",
116, लक्ष्मणपुरी, फैजाबाद रोड, लखनऊ।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स "महमूद राईस मिल", ग्राम म्यून्डी, तहसील मिलक, जिला रामपुर (यू0पी0) नामक फर्म में दिनांक 01 जुलाई, 2020 को 1—इपितखार हुसैन पुत्र श्री महमूद हसन, निवासी बड़ी मस्जिद के पास, मौह0 माजुल्लानगर केमरी बिलासपुर, जिला रामपुर व 2—श्री इकराम हु सैन पुत्र श्री महमूद हसन, निवासी माजुल्ला नगर घोसाया मस्जिद केमरी, बिलासपुर, जिला रामपुर व 3—श्री जबरुद्दीन पुत्र श्री शफीक अहमद, निवासी मौह0 चमारान मस्जिद घोसी वाली केमरी बिलासपुर, जिला रामपुर व 4—श्री जाकिर हुसैन पुत्र श्री रियासत हुसैन, निवासी मौह0 माजुल्ला नगर जामा मस्जिद केमरी बिलासपुर, जिला रामपुर तथा 5—खुर्शीदा बेगम पुत्री श्री अली बख्श, निवासी मौह0 119, माजुल्ला नगर कोटा केमरी बिलासपुर, जिला रामपुर रिटायर हो गये हैं तथा दिनांक 01 जुलाई, 2020 को 1—श्रीमती खातून बेगम पत्नी श्री जमील अहमद, निवासी 165, मौह0 इमामबाड़ा केमरी बिलासपुर, जिला रामपुर व 2—रफीक अहमद पुत्र श्री शब्बीर अहमद, निवासी 107, मौह0 माजुल्ला नगर निकट प्रधान वाली मस्जिद केमरी, जिला रामपुर तथा 3—श्री वकील अहमद पुत्र श्री शब्बीर अहमद, निवासी निकट इण्डियन ढाबा, मौह0 माजुल्ला नगर केमरी, जिला रामपुर शामिल हो गये हैं तथा उक्त फर्म पर रिटायर्ड पार्टनर की कोई देनदारी व लेनदारी बकाया नहीं है तथा अब वर्तमान में छः पार्टनर 1—श्री गुलजार अहमद, 2—श्री अबरार अहमद, 3—श्री अखलाक अहमद, 4—श्रीमती खातून बेगम, 5—श्री रफीक अहमद तथा 6—श्री वकील अहमद रह गये हैं।

गुलजार अहमद,
पार्टनर,

फर्म मेसर्स "महमूद राईस मिल",
ग्राम म्यून्डी, तहसील मिलक,
जिला रामपुर (यू0पी0)।

पी0एस0यू0पी0-22 हिन्दी गजट-भाग 8-2020 ई0।

मुद्रक एवं प्रकाशक—निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उ0 प्र0, प्रयागराज।